संघ लोक सेवा आयोग

सत्यमेव जयते

परीक्षा नोटिस सं. 08/2011-एनडीए-II **दिनांक 09.04.2011**

(ऑफलाइन आवेदन प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 09.05.2011)

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा नौसेना अकादमी परीक्षा (II), 2011

(आयोग की वेबसाइट - http://www.upsc.gov.in)

फा. सं. 7/1/2011-प.1(ख) - राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के थल सेना, नौ सेना और वायु सेना स्कधों के लिए **जून, 2012** से शुरू होने वाले 128वें पाठ्यक्रम हेतु और नौ सेना अकादमी के 90वें भारतीय नौसेना अकादमी कोर्स (आईएनएसी) में प्रवेश हेतु संघ लोक सेवा आयोग द्वारा **21 अगस्त, 2011** को एक परीक्षा आयोजित की जायेगी. भारतीय नौसेना अकादमी में भर्ती उम्मीदवारों को 4 वर्ष का बी.टेक. कोर्स करना होगा तथा रिक्तियों/पदों की उपलब्धता के आधार पर नौसेना के कार्यपालक और तकनीकी विभाग में भर्ती का अवसर भी दिया जा सकता है.

परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या 335 होगी (जिसमें थल सेना के लिए 195, नौ सेना के लिए 39, वायु सेना के लिए 66 और भारतीय नौ सेना अकादमी की 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम के लिए यह संख्या 35 होगी). रिक्तियां अनंतिम हैं तथा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कोर्स की प्रशिक्षण क्षमतानुसार इनमें परिवर्तन किया जा सकता है.

विशेष ध्यान : (i) प्रत्येक उम्मीदवार को अपने आवेदन प्रपत्र में अपने वरीयता क्रम के अनुसार (1 से 4) सेवाओं का स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए. उसे यह भी सलाह दी जाती है कि वह जितनी चाहे उतनी वरीयताओं का उल्लेख करें, ताकि योग्यता क्रम में उनके रैंक को ध्यान में रखते हुए, नियुक्ति करते समय उनकी वरीयताओं पर भली-भांति विचार किया जा सके.

(ii) उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि केवल उन्हीं सेवाओं पर उनकी नियुक्ति हेतु विचार किया जायेगा जिनके लिए वे अपनी वरीयता व्यक्त करते हैं, अन्य सेवा व सेवाओं पर नहीं, उम्मीदवार द्वारा अपने प्रपत्र में पहले निर्दिष्ट वरीयता में वृद्धि/परिवर्तन के अनुरोध को आयोग स्वीकार नहीं करेगा.

(iii) आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा तथा उसके बाद सेवा चयन बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा में योग्यता प्राप्त उम्मीदवारों के लिए आयोजित बोद्धिक और व्यक्तित्व परीक्षण के परिणाम के आधार पर उपर्युक्त कोर्स में प्रवेश दिया जाएगा.

2. परीक्षा के केन्द्र :

परीक्षा निम्नलिखित केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी :

अगरतला	गंगटोक	पणजी (गोवा)
अहमदाबाद	हैदराबाद	पटना
ऐजल	इंफाल	पोर्ट-ब्लेयर
इलाहाबाद	ईटानगर	रायपुर
बंगलौर	जयपुर	रांची
बरेली	जम्मू	संबलपुर
भोपाल	जोरहाट	शिलांग
चंडीगढ़	कोच्चि	शिमला
चेन्नई	कोहिमा	श्रीनगर
कटक	कोलकाता	तिरुवनंतपुरम
देहरादून	लखनऊ	तिरुपति
दिल्ली	मदुरै	उदयपुर
धारवाड़	मुंबई	विशाखापटनम
दिसपुर	नागपुर	

आयोग यदि चाहे तो उक्त परीक्षा के उपर्युक्त केन्द्रों तथा तारीखों में परिवर्तन कर सकता है. यद्यपि उम्मीदवारों को उक्त परीक्षा के लिये उनकी पसंद के केन्द्र देने के सभी प्रयास किये जायेंगे, तो भी आयोग परिस्थितिवश किसी उम्मीदवार को अपनी विवक्षा पर अलग केन्द्र दे सकता है. जिन उम्मीदवारों को इस परीक्षा में प्रवेश दे दिया जाता है उन्हें समय-सारणी तथा परीक्षा स्थल (स्थलों) की जानकारी दे दी जायेगी.

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि केंद्र में परिवर्तन से सम्बद्ध अनुरोध को सामान्यतः स्वीकार नहीं किया जाएगा. किन्तु जब कोई उम्मीदवार अपने उस केन्द्र में परिवर्तन चाहता है जो उसने उक्त परीक्षा हेतु अपने आवेदन में निर्दिष्ट किया था तो उसे परीक्षा नियंत्रक, संघ लोक सेवा आयोग को इस बात का पूरा औचित्य बताते हुए एक पत्र अवश्य भेजना चाहिए कि वह केन्द्र में परिवर्तन क्यों चाहता है. ऐसे अनुरोधों पर गुणवत्ता के आधार पर विचार किया जाएगा. किन्तु **8 जून, 2011** के बाद प्राप्त अनुरोधों को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा.

महत्त्वपूर्ण

1. परीक्षा के लिए उम्मीदवार अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लें :

परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता शतो ं को पूरा करते हैं. परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः **अनंतिम** होगा बशर्ते कि वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों.

उम्मीदवार को मात्र प्रवेश पत्र जारी किए जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि उनकी उम्मीदवारी आयोग द्वारा अंतिम रूप से सुनिश्चित कर दी गई है.

उम्मीदवार द्वारा साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने के बाद ही आयोग मूल प्रमाण पत्रों के संदर्भ में पात्रता शर्तों का सत्यापन करता है.

2. आवेदन कैसे करें :

(क) उम्मीदवार [पैरा 5 (ग) में दिये गये कुछ वर्गों को छोडकर] **http://www.upsconline.nic.in** वेबसाइट सुविधा का प्रयोग कर ऑनलाइन आवेदन करें. ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत निर्देश उपर्युक्त वेबसाइट में उपलब्ध हैं.

(ख) उम्मीदवार, ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं जिसके लिए उन्हें आयोग द्वारा परीक्षाओं के लिए निर्दिष्ट किए गए सामान्य आवेदन प्रपत्र में ही आवेदन करना चाहिए, जो ₹ 30 (रुपये तीस मात्र) के नकद भुगतान पर देश भर के **निर्दिष्ट किसी भी प्रधान डाकघरों/डाकघरों** (नोटिस के परिशिष्ट-III में विनिर्दिष्ट) से खरीदे जा सकते हैं. ऐसा प्रत्येक प्रपत्र एक परीक्षा के लिए केवल एक ही बार प्रयोग में लाया जा सकता है.

यदि उम्मीदवारों को किसी निर्दिष्ट प्रधान डाकघर/डाकघर में आवेदन प्रपत्र प्राप्त करने में कोई कठिनाई हो तो वे तत्काल संबंधित डाकपाल अथवा संघ लोक सेवा आयोग के **''फार्म सप्लाई निगरानी प्रकोष्ठ'' से दूरभाष संख्या 011-23389366/फैक्स संख्या 011-23387310 पर संपर्क करें.**

(ग) उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे इस नोटिस के परिशिष्ट-II (क) में दिये गये 'ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र को भरने के लिए अनुदेशों' और परिशिष्ट-II (ख) में 'ऑफलाइन आवेदन करने के लिए अनुदेशों' को सावधानीपूर्वक पढ़ लें.

3. आवेदन प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख :

(क) ऑनलाइन :

ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र **9 मई 2011, रात्रि 11.59 बजे** तक भरे जा सकते हैं जिसके पश्चात लिंक निरूपयोज्य होगा.

(ख) ऑफलाइन :

पूरी तरह से भरे हुए ऑफलाइन आवेदन दस्ती या पोस्ट/स्पीड पोस्ट या कुरियर द्वारा **''परीक्षा नियंत्रक, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली-110069** को **9 मई, 2011** या इससे पहले पहुंच जाने चाहिए.

उम्मीदवारों को यह नोट कर लेना चाहिए कि निर्दिष्ट काउंटर पर सिर्फ सायं 5 बजे तक एक बार में केवल एक ही आवेदन प्रपत्र प्राप्त किया जाएगा न कि बड़ी संख्या में.

तथापि, विदेशों में या इस नोटिस के पैरा 6 में निर्दिष्ट कतिपय सुदूरवर्ती क्षेत्रों से आवेदन पोस्ट करने वाले उम्मीदवारों के मामले में केवल डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा (दस्ती या कूरियर द्वारा नहीं) आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख **16 मई, 2011** है.

4. गलत उत्तरों के लिए दंड :

अभ्यर्थी नोट कर लें कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न-पत्रों में उम्मीदवार द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए दंड **(नेगेटिव मार्किंग)** दिया जायेगा.

5. उम्मीदवारों के मार्गदर्शन हेतु सुविधा काउन्टर :

उम्मीदवार अपने आवेदन प्रपत्र, उम्मीदवारी आदि से संबंधित किसी प्रकार के मार्गदर्शन/सूचना/स्पष्टीकरण के लिए कार्यदिवसों में 10.00 बजे और 5.00 बजे के मध्य तक आयोग परिसर के गेट 'सी' के पास संघ लोक सेवा आयोग के सुविधा काउंटर पर व्यक्तिगत रूप से अथवा **दूरभाष सं. 011-23385271/011-23381125/011-23098543** पर संपर्क कर सकते हैं.

6. मोबाइल फोन प्रतिबंधित :

(क) जहां परीक्षा आयोजित की जा रही है, उस परिसर के अंदर मोबाईल फोन, पेजर्स अथवा अन्य संचार यंत्रों की अनुमति नहीं है. इन अनुदेशों का कोई अतिलंघन होने पर भविष्य में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में प्रतिबंध सहित अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी.

(ख) उम्मीदवारों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि परीक्षा स्थल पर मोबाईल फोन/पेजर्स सहित कोई प्रतिबंधित सामग्री न लाएं क्योंकि इनकी सुरक्षा की व्यवस्था को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता.

7. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा हाल में कोई भी बहुमूल्य वस्तु न लाएं क्योंकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती. इस संबंध में किसी भी नुकसान के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा.

उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है

3. पात्रता की शर्तें :

(क) राष्ट्रीयता : उम्मीदवार या तो :-

1. भारत का नागरिक हो, या
2. नेपाल की प्रजा हो, या
3. भूटान की प्रजा हो, या
4. भारत में स्थायी रूप से रहने के इरादे से 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत आया हुआ तिब्बती शरणार्थी हो; या
5. भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से रहने के उद्देश्य से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों जैसे कीनिया, उगाण्डा तथा तंजानिया संयुक्त गणराज्य, जांबिया, मलावी, जैरे तथा इथियोपिया या वियतनाम से प्रव्रजन कर के आया हो.

परन्तु उपर्युक्त वर्ग 2, 3, 4 और 5 के अंतर्गत आने वाला उम्मीदवार ऐसा व्यक्ति हो जिसको भारत सरकार ने पात्रता प्रमाणपत्र प्रदान किया हो. पर नेपाल के गोरखा उम्मीदवारों के लिए यह पात्रता प्रमाणपत्र आवश्यक नहीं होगा.

(ख) आयु-सीमाएं, लिंग और वैवाहिक स्थिति :

केवल ऐसे अविवाहित पुरुष उम्मीदवार जिनका जन्म दो जुलाई, 1993 से पहले न हुआ हो तथा पहली जनवरी, 1996 के बाद न हुआ हो, पात्र हैं.

आयोग जन्म की वह तारीख स्वीकार करता है जो मैट्रिकुलेशन या माध्यमिक विद्यालय छोड़ने के प्रमाण पत्र या किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा मैट्रिकुलेशन के समकक्ष माने गए प्रमाणपत्र या किसी विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित मैट्रिकुलेटों के रजिस्टरों में दर्ज की गई हो और यह उद्धरण विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हो. मूल प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करने होंगे.

आयु के संबंध में कोई अन्य दस्तावेज जैसे जन्म कुण्डली, शपथ पत्र, नगर निगम से और सेवा अभिलेख से प्राप्त जन्म संबंधी उद्धरण तथा अन्य ऐसे ही प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे.

अनुदेशों के इस भाग में आये हुए 'मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र' वाक्यांश के अंतर्गत उपर्युक्त वैकल्पिक प्रमाण पत्र सम्मिलित हैं.

टिप्पणी-1 : उम्मीदवार यह ध्यान रखें कि आयोग उम्मीदवार की जन्म की उसी तारीख को स्वीकार करेगा जो कि आवेदन प्रपत्र प्रस्तुत करने की तारीख को मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र या समकक्ष प्रमाण पत्र में दर्ज है और इसके बाद उसमें परिवर्तन के किसी अनुरोध पर न तो विचार किया जाएगा और न उसे स्वीकार किया जाएगा.

टिप्पणी-2 : उम्मीदवार यह भी नोट कर लें कि उनके द्वारा किसी परीक्षा में प्रवेश के लिए जन्म की तारीख एक बार घोषित कर देने और आयोग द्वारा उसे अपने अभिलेख में दर्ज कर लेने के बाद उसमें बाद में या बाद की किसी अन्य परीक्षा में परिवर्तन करने की अनुमति किसी भी आधार पर नहीं दी जाएगी.

टिप्पणी-3 : उम्मीदवारों को आवेदन-प्रपत्र के संबंधित कॉलम में जन्म तिथि भरते समय उचित सावधानी बरतनी चाहिए. यदि बाद की किसी अवस्था में, जांच के दौरान उनके द्वारा भरी गई जन्म तिथि की उनके मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण-पत्र में दी गई जन्म तिथि से कोई भिन्नता पाई गई तो आयोग द्वारा उनके विरुद्ध नियम के अधीन अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.

टिप्पणी-4 : उम्मीदवारों को इस बात का वचन देना है कि जब तक उनका सारा प्रशिक्षण पूरा नहीं होगा तब तक वे शादी नहीं करेंगे. जो उम्मीदवार अपने आवेदन की तारीख के बाद शादी कर लेता है उसको प्रशिक्षण के लिए चुना नहीं जाएगा. चाहे वह उस परीक्षा में या अगली किसी परीक्षा में भले ही सफल हो. जो उम्मीदवार प्रशिक्षण काल में शादी कर लेगा उसे वापस भेजा जाएगा और उस पर सरकार ने जो पैसा खर्च किया है सब उससे वसूल किया जाएगा.

(ग) शैक्षिक योग्यताएं :

(i) राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के थल सेना स्कंध के लिए : किसी राज्य शिक्षा बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्कूली शिक्षा प्रणाली 10+2 की 12वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष.

(ii) राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के वायु सेना और नौ सेना स्कंधों तथा भारतीय नौ सेना अकादमी की 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम के लिए : किसी राज्य शिक्षा बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित भौतिकी और गणित सहित स्कूली शिक्षा प्रणाली 10+2 की 12वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष.

जो उम्मीदवार स्कूली शिक्षा प्रणाली 10+2 के अधीन 12 वीं कक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा में बैठ रहे हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं.

ऐसे उम्मीदवार जो एसएसबी साक्षात्कार में अर्हता प्राप्त कर लेते हैं लेकिन एसएसबी साक्षात्कार के समय मैट्रिक/10+2 या समकक्ष प्रमाण पत्र मूल रूप से प्रस्तुत नहीं कर पाते, उन्हें प्रमाणपत्र, उनकी फोटोप्रति सहित **"अपर महानिदेशालय, भर्ती, सेना मुख्यालय, वैस्ट ब्लॉक-III, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066"** को तथा नौ सेना अकादमी के उम्मीवारों के मामले में

क्रमशः

"नौसेना मुख्यालय, डीएमपीआर, ओआई एण्ड आर अनुभाग, कमरा सं. 204, 'सी' स्कंध, सेना भवन, नई दिल्ली-110011" को **10 जून, 2012** तक भेजना, होगा. ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी. अन्य वे सभी उम्मीदवार जो मूल रूप में अपने मैट्रिक और 10+2 पास या समकक्ष प्रमाण पत्र एसएसबी साक्षात्कार के समय प्रस्तुत कर चुके हैं तथा एसएसबी प्राधिकारियों द्वारा उनका सत्यापन करवा चुके हैं उन्हें सेना मुख्यालय या नौसेना मुख्यालय, जैसा भी मामला हो, इन्हें फिर से प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है.

ऐसे मामलों में जहां बोर्ड/विश्वविद्यालय के द्वारा अभी तक प्रमाणपत्र जारी नहीं किए गए हों, शिक्षा संस्थाओं के प्रधानाचार्य के द्वारा दिये गये मूल प्रमाणपत्र भी स्वीकार्य होंगे, ऐसे प्रमाणपत्रों की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपियां/फोटोस्टेट प्रतियां स्वीकार नहीं की जायेंगी. अपवाद की परिस्थितियों में आयोग किसी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम में निर्धारित योग्यताओं से युक्त न होने पर भी शैक्षिक रूप से योग्य मान सकता है बशर्ते कि उनके पास ऐसी योग्यताएं हों, आयोग के विचार से जिनका स्तर, उसे इस परीक्षा में प्रवेश देना उचित ठहराता हो.

टिप्पणी-1 : वे उम्मीदवार जो 11 वीं कक्षा की परीक्षा दे रहे हैं, इस परीक्षा में बैठने के पात्र नहीं हैं.

टिप्पणी-2 : वे उम्मीदवार, जिन्हें 12 वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा में अभी तक अर्हता प्राप्त करनी है और जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग ने परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी है, नोट कर लें कि उनको दी गई यह विशेष छूट है. उन्हें 12 वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण निर्धारित तारीख (10 जून, 2012) तक प्रस्तुत करना है और बोर्ड/ विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा के देर से आयोजित किये जाने, परिणाम घोषणा में विलंब या अन्य किसी कारण से इस तारीख को और आगे बढ़ाने से संबद्ध किसी भी अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जायेगा.

टिप्पणी-3 : जो उम्मीदवार रक्षा मंत्रालय द्वारा रक्षा सेवाओं में किसी प्रकार के कमीशन से अपवर्जित हैं, वे इस परीक्षा में प्रवेश के पात्र नहीं होंगे, अगर प्रवेश दे दिया गया तो भी उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी.

टिप्पणी-4 : वे उम्मीदवार जो आईएनएसबी/ पीएबीटी में पहले फेल हो चुके हैं, वायु सेना के लिए योग्य नहीं हैं.

(घ) शारीरिक मानक :

उम्मीदवार को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा नौसेना अकादमी परीक्षा (II), 2011 हेतु परिशिष्ट-V में दिए गए शारीरिक मानकों के दिशा निर्देशों के अनुरूप शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए.

वे उम्मीदवार जिन्होंने या तो इस्तीफा दे दिया है या जिन्हें सशस्त्र बल के किसी प्रशिक्षण संस्थान से अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत निकाल दिया गया हो, आवेदन करने की योग्यता नहीं रखते हैं.

4. शुल्क :

(क) ऑनलाइन आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को कम किये गए **₹ 50/- (रुपये पचास मात्र)** फीस के रूप में (अ.जा./अ.ज.जा. उम्मीदवारों को छोड़कर जिन्हें कोई शुल्क नहीं देना होगा) या तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में नकद जमा करके या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नेट बैंकिंग सेवा का उपयोग करके या वीजा/मास्टर क्रेडिट/डेबिट कार्ड का उपयोग करके भुगतान करना होगा.

(ख)(i) ऑफलाइन (सामान्य आवेदन प्रपत्र द्वारा) आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को एक केन्द्रीय भर्ती शुल्क स्टॅम्प द्वारा **₹** 100/- (केवल एक सौ रुपये) की फीस अदा करनी होगी. केन्द्रीय भर्ती शुल्क टिकट (डाक टिकट नहीं) डाकघर से प्राप्त करें और आवेदन प्रपत्र पर इसके लिए निर्धारित स्थान पर चिपका दें. जारी करने वाले डाकघर की तारीख की मोहर सहित उस टिकट को इस तरह से रद्द किया जाए कि रद्द करने की मोहर की छाप आंशिक रूप से आवेदन प्रपत्र पर भी किंतु आवेदन प्रपत्र में दिये गये स्थान के अंदर, अपने आप आ जाए. रद्द किए गए टिकट पर छाप स्पष्ट होनी चाहिए ताकि तारीख तथा जारी करने वाले डाकघर की पहचान स्पष्ट रूप से हो सके.

विदेश में रहने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित शुल्क भारत के उच्च आयुक्त, राजदूत या विदेश में स्थित प्रतिनिधि के कार्यालय में, जैसी भी स्थिति हो इस अनुरोध के साथ जमा करना होगा ताकि वह "051-लोक सेवा आयोग-परीक्षा शुल्क" के लेखा शीर्ष में जमा हो जाए और आवेदन प्रपत्र के साथ उसकी रसीद लगा कर भेजनी चाहिए.

जिन आवेदन प्रपत्रों में इस अपेक्षा की पूर्ति नहीं होगी, उन्हें एकदम अस्वीकार कर दिया जायेगा. यह उन उम्मीदवारों पर लागू नहीं होगा जो निम्नांकित पैराग्राफ के अंतर्गत निर्धारित शुल्क में छूट का दावा कर रहे हैं. **अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को शुल्क नहीं देना होगा तथापि अन्य पिछड़ी श्रेणियों के उम्मीदवारों को शुल्क में कोई छूट नहीं है तथा उन्हें निर्धारित शुल्क का पूरा भुगतान करना होगा.**

किसी भी हालत में केन्द्रीय भर्ती शुल्क टिकट के स्थान पर डाक टिकट स्वीकार नहीं की जाएगी.

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि **भारतीय पोस्टल आर्डर, बैंक ड्राफ्ट, मनीआर्डर, रेखांकित चेक, चलमुद्रा नोट या ट्रेजरी चालान** आदि आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे तथा ऐसे आवेदन प्रपत्रों को शुल्क रहित माना जाएगा तथा उन्हें एकदम अस्वीकृत कर दिया जाएगा.

(ii) थल सेना के जूनियर कमीशण्ड अफसरों, नान कमीशण्ड अफसरों तथा अन्य रैंकों और भारतीय नौ सेना तथा भारतीय वायु सेना के समकक्ष रैंकों के बच्चों और थल सेना के भूतपूर्व जूनियर कमीशंड अफसरों, भूतपूर्व नॉन कमीशण्ड अफसरों तथा भूतपूर्व अन्य रैंकों और भारतीय नौ सेना तथा भारतीय वायु सेना के समकक्ष रैंकों के बच्चों को उस स्थिति में निर्धारित शुल्क देने की जरूरत नहीं होगी जब वे निम्नलिखित शर्तें पूरी कर देते हैं. अर्थात :

(क) वे मिलिट्री स्कूल (पहले किंग जार्ज स्कूल के नाम से ज्ञात)/सैनिक स्कूल सोसाइटी द्वारा चलाए जा रहे सैनिक स्कूलों में शिक्षा पा रहे हैं और,

(ख) उनके आवेदन संबद्ध स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा अग्रेषित किये जाते है.

जे.सी.ओ./एन.सी.ओ./ओ.आर. इत्यादि के बच्चों को, [उपर्युक्त (ii) में दर्शाये गये] जो कि फीस में छूट का दावा कर रहे हैं, सामान्य आवेदन प्रपत्र द्वारा ही आवेदन करना चाहिये न कि ऑनलाइन द्वारा.

टिप्पणी : मिलिट्री स्कूल/सैनिक स्कूलों के उम्मीदवारों के संबद्ध स्कूलों के प्रधानाचार्य द्वारा अपेक्षित आवेदन प्रपत्रों की संवीक्षा आयोग के कार्यालय में यह निश्चय करने के लिए की जाएगी कि क्या ऐसे उम्मीदवार उपर्युक्त, नोटिस के पैरा 4(ii) के अंतर्गत शुल्क के छूट के हकदार हैं. किन्तु मिलिट्री स्कूलों/सैनिक स्कूलों के प्रधानाचार्यों को अपने स्कूल के विद्यार्थियों के आवेदन प्रपत्र आयोग को अग्रेषित करने से पहले संतुष्ट होना चाहिए कि वे नोटिस की उक्त व्यवस्था की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं. अग्रेषण पत्र भेजते समय आवेदक का नाम तथा आवेदन प्रपत्र क्रमांक का उल्लेख भी करना चाहिए. अग्रेषण पत्र को आवेदन प्रपत्र के साथ टैग अथवा पिन नहीं करना चाहिए. आयोग प्रधानाचार्य के कृताकृतों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा.

आवेदन के साथ आयोग को अदा किये गये शुल्क को वापस करने के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जा सकता है और न उसे किसी दूसरी परीक्षा या चयन के लिए आरक्षित रखा जा सकता है.

5. आवेदन कैसे करें :

(क) उम्मीदवार **http://www.upsconline.nic.in** वेबसाइट सुविधा का प्रयोग कर **ऑनलाइन** आवेदन करें. ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत निर्देश उपर्युक्त वेबसाइट में उपलब्ध हैं.

(ख) उम्मीदवार ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं जिसके लिए संघ लोक सेवा आयोग ने अपनी सभी परीक्षाओं के लिए सामान्यतः एक **आवेदन प्रपत्र** तैयार किया है जिसे कम्प्यूटरीकृत मशीनों द्वारा जांचा जा सकता है. आवेदन प्रपत्र के साथ सूचना विवरणिका जिसमें प्रपत्र भरने के लिए सामान्य अनुदेश, पावती कार्ड एवं आवेदन प्रपत्र भेजने के लिए एक लिफाफा शामिल हैं, नोटिस के **परिशिष्ट-III** में सूचीबद्ध देश भर के **निर्दिष्ट किए प्रधान डाकघरों/डाकघरों से ₹ 30 (तीस रुपये मात्र) नकद भुगतान करके प्राप्त किए जा सकते हैं.** प्रपत्र केवल निर्दिष्ट किए डाकघरों से ही खरीदने चाहिए किसी अन्य एजेंसी से नहीं. **यह प्रपत्र एक परीक्षा के लिए केवल एक ही बार प्रयोग में लाया जा सकता है.** उम्मीदवार जो ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं, केवल सूचना विवरणिका के साथ दिए गए प्रपत्र का प्रयोग करें तथा उन्हें किसी भी स्थिति में प्रपत्र की छायाप्रति/प्रतिलिपि/अनाधिकृत मुद्रित प्रति का प्रयोग नहीं करना चाहिए. चूंकि इस प्रपत्र की इलेक्ट्रॉनिक मशीन द्वारा बारीकी से जांच की जाती है, आवेदन प्रपत्र को सही ढंग से भरने के लिए उचित सावधानी बरतनी चाहिए. आवेदन प्रपत्र को भरते समय, **कृपया नोटिस के परिशिष्ट-II (ख) में दिए गए विस्तृत अनुदेशों को देखें.** उम्मीदवार को पावती कार्ड के संगत स्थानों पर अपना आवेदन प्रपत्र संख्या और परीक्षा का नाम भी भरना चाहिए. **आवेदक को आवेदन प्रपत्र के साथ पावती कार्ड पर ₹ 6/- (छः रुपये मात्र) का डाक टिकट लगाकर उसे संघ लोक सेवा आयोग को भेजना होगा. यदि आवेदक वांछित मूल्य का डाक टिकट नहीं लगाता है, तो उसका पावती कार्ड प्रेषित नहीं किया जाएगा तथा कार्ड को आवेदक द्वारा प्राप्त न किए जाने के लिये आयोग जिम्मेवार नहीं होगा.** विधिवत भरा गया आवेदन प्रपत्र एवं पावती कार्ड सूचना विवरणिका के साथ दिए **विशेष लिफाफे में भेजे जाने चाहिए**. लिफाफा परीक्षा नियंत्रक संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड' नई दिल्ली-110069' को भेजने से पहले आपको उसके ऊपर परीक्षा का नाम अर्थात **'राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा नौ सेना अकादमी परीक्षा(II), 2011 भी लिखना चाहिए. उम्मीदवार को अपना टेलीफोन/फैक्स नं. लिखना चाहिए.**

(ग) सभी उम्मीदवारों को चाहे वे पहले से सरकारी नौकरी में हों या सरकारी औद्योगिक उपक्रमों में हों या इसी प्रकार के अन्य संगठनों में हों या गैर-सरकारी संस्थाओं में नियुक्त हों, अपने आवेदन-प्रपत्र आयोग को सीधे भेजने चाहिए. अगर किसी उम्मीदवार ने अपना आवेदन प्रपत्र अपने नियोक्ता के द्वारा भेजा हो और वह संघ लोक सेवा आयोग में देर से पहुंचा हो तो उस आवेदन प्रपत्र पर विचार नहीं किया जायेगा भले ही वह नियोक्ता को आखिरी तारीख के पहले प्रस्तुत किया गया हो.

जो व्यक्ति पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहें हों या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हों, जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त व्यक्ति शामिल नहीं हैं, या जो लोक उद्यमों में सेवारत हैं, उनको यह परिवचन (अण्डरटेकिंग) प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है. उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने/परीक्षा में बैठने से सम्बद्ध अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन प्रपत्र अस्वीकृत कर दिया जा सकता है/उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जा सकती है.

जो उम्मीदवार सशस्त्र सेना में सेवारत हैं उन्हें अपने आवेदन प्रपत्र अपने कमांडिंग अधिकारियों के माध्यम से प्रस्तुत करने चाहिए, जिन्हें वे अग्रेषण पत्र के साथ आवेदक का नाम तथा आवेदन प्रपत्र क्रमांक का उल्लेख करते हुए, आयोग को अग्रेषित करेंगे.

भारतीय नौ सेना में नौ सैनिकों (बाल एवं परिशिल्पी शिक्षार्थियों सहित) के आवेदन प्रपत्रों को, तभी स्वीकार किया जायेगा जब उन्हें उनके कमांडिंग अधिकारियों द्वारा विधिवत् अनुशांसित किया गया हो.

राष्ट्रीय इंडियन मिलिटरी कालेज (जिसे पहले सैनिक स्कूल कहा जाता था) देहरादून, मिलिटरी स्कूलों (जिन्हें पहले किंग जार्ज स्कूल कहा जाता था) और सैनिक स्कूलों की सोसायटी द्वारा चलाए जाने वाले सैनिक स्कूलों के छात्रों को अपने आवेदन प्रपत्र संबद्ध कालेज/स्कूलों के प्रिंसिपल के माध्यम से प्रस्तुत करने चाहिए, जिन्हें वह अग्रेषण पत्र पर आवेदक का नाम तथा उसका आवेदन प्रपत्र क्रमांक का उल्लेख करते हुए आयोग को अग्रेषित करेंगे. अग्रेषण पत्र को आवेदन प्रपत्र के साथ टैग या पिन न किया जाये.

उपर्युक्त दिये गये उम्मीदवार जो कि कमीशन को सीधे आवेदन नहीं कर सकते, उन्हें केवल सामान्य आवेदन प्रपत्र द्वारा ही आवेदन करना चाहिये न कि ऑनलाइन द्वारा.

टिप्पणी-1 : उम्मीदवार को अपने आवेदन प्रपत्र में परीक्षा के लिए केन्द्र भरते समय सावधानी पूर्वक निर्णय लेना चाहिए. एक ही उम्मीदवार के अलग-अलग केन्द्र देते हुए एक से अधिक आवेदन प्रपत्र किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किए जाएंगे. यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक पूरे भरे हुए आवेदन प्रपत्र भेजे तो भी आयोग अपने विवेक से केवल एक ही आवेदन प्रपत्र स्वीकार करेगा तथा इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा. यदि कोई उम्मीदवार आयोग द्वारा प्रेषित प्रवेश प्रमाण पत्र में दर्शाये गये केन्द्र से इतर केन्द्र में बैठता है तो उस उम्मीदवार के प्रश्नपत्रों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा तथा उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है.

टिप्पणी-2 : जिन आवेदन प्रपत्रों के साथ निर्धारित शुल्क संलग्न नहीं होगा (उपर्युक्त पैरा 4 के अंतर्गत शुल्क माफी के दावे को छोड़कर) या जो अधूरे या गलत भरे हुए हों, उनको एक दम अस्वीकृत कर दिया जाएगा और किसी भी अवस्था में अस्वीकृति के संबंध में अभ्यावेदन या पत्र-व्यवहार को स्वीकार नहीं किया जायेगा. **उम्मीदवार को अपने आवेदन प्रपत्रों के साथ आयु तथा शैक्षिक योग्यता, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी श्रेणियों और शुल्क में छूट आदि का प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करना होगा. इसलिए वे इस बात को सुनिश्चित कर लें कि वे परीक्षा में प्रवेश के लिए पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं या नहीं.अतः परीक्षा में उनका प्रवेश भी पूर्णतः अनन्तिम होगा. यदि किसी बाद की तारीख को सत्यापन करते समय यह पता चलता है कि वे पात्रता की सभी शर्तें पूरी नहीं करते हैं तो उनकी उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी. परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम के नवम्बर, 2011 में घोषित होने की संभावना है.**

साक्षात्कार के लिये बुलाये गये सभी उम्मीदवारों को सेवा चयन बोर्ड (एसएसबी) के समक्ष मैट्रिक परीक्षा का मूल प्रमाणपत्र अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे. जो उम्मीदवार सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार में अर्हता प्राप्त कर लेंगे उन्हें साक्षात्कार के तुरंत बाद मूल प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करना होगा. जांच पड़ताल के बाद मूल प्रमाण पत्र लौटा दिए जाएंगे, जो उम्मीदवार पहले ही 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं, वे सेवा चयन बोर्ड हेतु अपना 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण करने का मूल प्रमाण-पत्र या अंक सूची अवश्य लाएं.

यदि उनका कोई भी दावा असत्य पाया जाता है तो उनके विरुद्ध आयोग द्वारा निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है :

जो उम्मीदवार आयोग द्वारा निम्नांकित कदाचार का दोषी घोषित होता है या हो चुका है :

(i) किसी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी का समर्थन प्राप्त करना, या

(ii) किसी व्यक्ति के स्थान पर स्वयं प्रस्तुत होना, या

(iii) अपने स्थान पर किसी दूसरे को प्रस्तुत करना, या

(iv) जाली प्रलेख या फेर-बदल किए गये प्रलेख प्रस्तुत करना, या

(v) अशुद्ध या असत्य वक्तव्य देना या महत्वपूर्ण सूचना को छिपा कर रखना, या

(vi) परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में किसी अनियमित या अनुचित लाभ उठाने का प्रयास करना, या

(vii) परीक्षा के समय अनुचित तरीके अपनाना, या

(viii) उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखना जो अश्लील भाषा या अभद्र आशय की हों, या

(ix) परीक्षा भवन में और किसी प्रकार का दुर्व्यवहार करना, या

(x) परीक्षा चलाने के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान करना या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाना, या

(xi) परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन/पेजर या किसी अन्य प्रकार का इलैक्ट्रानिक उपकरण या यंत्र अथवा संचार यंत्र के रूप में प्रयोग किए जा सकने वाला कोई अन्य उपकरण प्रयोग करते हुए या अपने पास रखे पाया गया हो, या

(xii) उम्मीदवारों को परीक्षा देने की अनुमति देते हुए प्रेषित प्रवेश प्रमाण-पत्रों के साथ जारी अनुदेश का उल्लंघन करना, या

(xiii) ऊपर खण्डों में उल्लिखित सभी या किसी कदाचार को करने की कोशिश करना या करने के लिए उकसाना.

वह अपने को दण्ड-अभियोजना का शिकार बनाने के अतिरिक्त

(क) आयोग की जिस परीक्षा का उम्मीदवार है उसके लिए आयोग द्वारा अयोग्य ठहराया जा सकता है.

और/या

(ख) स्थाई रूप से या किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए अपवर्जित किया जा सकता है :

(1) आयोग द्वारा उनकी किसी परीक्षा या चयन के लिए;

(2) केन्द्र सरकार द्वारा उनके अधीन किसी नियुक्ति के लिए; और

(ग) यदि वह पहले से ही सरकारी नौकरी में हो तो समुचित नियमों के अधीन अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी.

किंतु शर्त यह है कि इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक :

(i) उम्मीदवार को इस सम्बन्ध में लिखित अभ्यावेदन, जो वह देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर न दिया गया हो, और

(ii) उम्मीदवार द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार न कर लिया गया हो.

6. आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख :

(क) ऑनलाइन :

ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र (भाग-I और भाग-II) **9 मई 2011, रात्रि 11.59 बजे तक** भरे जा सकते हैं जिसके पश्चात लिंक निरुपयोज्य होगा.

(ख) ऑफलाइन :

(i) पूरी तरह भरा हुआ ऑफलाइन आवेदन परीक्षा नियंत्रक, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली-110069 को **9 मई, 2011** को अथवा इससे पहले पहुंच जाना चाहिए.

(ii) असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले और चम्बा जिले के पांगी उपमंडल तथा अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह अथवा लक्षद्वीप और विदेशों से आवेदन पोस्ट कर रहे उम्मीदवारों के मामले में केवल डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा ऑफलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख **16 मई, 2011** है. उपर्युक्त क्षेत्रों/प्रदेशों में रहने वाले उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने के लिए दिया गया अतिरिक्त समय सीमा का लाभ केवल **डाक/स्पीड पोस्ट** द्वारा प्राप्त आवेदन प्रपत्रों के मामले में ही दिया जाएगा.

वैयक्तिक रूप से अथवा कूरियर सेवा से प्राप्त आवेदन के मामलों में अतिरिक्त समय सीमा का लाभ नहीं मिलेगा.

अतिरिक्त समय सीमा के लाभ का दावा करने वाले उम्मीदवारों को आवेदन प्रपत्र में दिए गए कॉलम 13 में उस विशेष क्षेत्र अथवा प्रदेश, (अर्थात् असम, मेघालय, जम्मू एवं कश्मीर आदि) जहां से आवेदन पोस्ट कर रहे हों, के एरिया कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से करना चाहिए. यदि वे ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उन्हें अतिरिक्त समय का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

टिप्पणी-I : उम्मीदवार स्पष्ट रूप से यह समझ लें कि आयोग उसके आवेदन प्रपत्र प्राप्त न होने अथवा किन्हीं अन्य कारणों से विलम्ब से प्राप्त होने के लिए किसी भी परिस्थिति में उत्तरादायी नहीं होगा. निर्धारित अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन प्रपत्र पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा और विलम्ब से प्राप्त होने वाले सभी आवेदन प्रपत्रों को तुरन्त अस्वीकृत कर दिया जाएगा. अतः वे यह सुनिश्चित कर लें कि उनके आवेदन प्रपत्र निर्धारित अंतिम तिथि तक आयोग के कार्यालय में पहुंच जाएं.

टिप्पणी-II : उम्मीदवार अपने आवेदन प्रपत्र आयोग के काउन्टर पर व्यक्तिगत रूप से भी जमा करके उसकी समुचित रसीद प्राप्त कर सकते है. आयोग के अन्य किसी पदाधिकारी को जमा करने के लिए दिए गए आवेदन प्रपत्रों के संबंध में आयोग उत्तरादायी नहीं होगा.

टिप्पणी-III : कूरियर सेवा अथवा कूरियर जैसी अन्य सेवा के माध्यम से प्राप्त आवेदन प्रपत्रों को आयोग के काउंटर पर "दस्ती रूप से" जमा किए गए आवेदन प्रपत्रों के रूप में माना जाएगा.

टिप्पणी-IV : उम्मीदवारों को यह नोट कर लेना चाहिए कि निर्दिष्ट काउंटर पर सिर्फ सायं 5 बजे तक एक बार में केवल एक ही आवेदन प्रपत्र प्राप्त किया जाएगा न कि बड़ी संख्या में.

7. आवेदनों की पावती :

उम्मीदवार से आवेदन प्रपत्र प्राप्त होते ही उसके द्वारा आवेदन प्रपत्र के साथ जमा कराए गए पावती कार्ड पर उसका आवेदन प्रपत्र प्राप्त होने के प्रमाण के तौर पर मुहर लगाकर आयोग के कार्यालय द्वारा उसे भेज दिया जाएगा. यदि किसी उम्मीदवार को **30 दिनों के भीतर** पावती कार्ड प्राप्त नहीं होता है तो उसे आवेदन प्रपत्र सं. नाम तथा परीक्षा का वर्ष दर्शाते हुए तत्काल आयोग से संपर्क करना चाहिए. आयोग के काउंटर पर व्यक्तिगत रूप से आवेदन प्रपत्र जमा कराने वाले उम्मीदवारों को काउन्टर पर ही पावती कार्ड दे दिया जाएगा.

केवल इस तथ्य से कि उम्मीदवार का आवेदन प्रपत्र आयोग द्वारा प्राप्त कर लिया गया है इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि परीक्षा के लिए उसकी उम्मीदवारी को स्वीकार कर लिया गया है. उम्मीदवारों को उनके परीक्षा में प्रवेश अथवा उनका आवेदन प्रपत्र अस्वीकृत किए जाने के बारे में शीघ्रातिशीघ्र सूचित कर दिया जायेगा.

8. आयोग/थल सेना/नौ सेना/वायु सेना मुख्यालय के साथ पत्र-व्यवहार :

निम्नलिखित मामलों को छोड़कर आयोग अन्य किसी भी मामले में उम्मीदवार के साथ पत्र-व्यवहार नहीं करेगा.

(i) उन उम्मीदवारों को जिन्हें परीक्षा में प्रवेश दिया गया है, अनुक्रमांक, केन्द्र तथा कोर्स जिसके लिये प्रवेश दिया गया है आदि दर्शाते हुए प्रवेश प्रमाण पत्र प्रेषित किया जायेगा. प्रवेश प्रमाण पत्र में उम्मीदवार के फोटोग्राफ का समावेश होगा. **यदि किसी उम्मीदवार को परीक्षा प्रारंभ होने से तीन सप्ताह पूर्व तक प्रवेश प्रमाण पत्र अथवा उसकी उम्मीदवारी से संबद्ध कोई सूचना न मिले तो उसे आयोग से तत्काल संपर्क करना चाहिए.** ऐसी किसी सूचना के प्राप्त होने पर प्रवेशित उम्मीदवार को प्रवेश प्रमाण पत्र अथवा उसकी अनुप्रति/ अनुलिपि भेज दी जायेगी. इस संबंध में जानकारी आयोग परिसर में स्थित सुविधा काउंटर पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष संख्या : 011-23385271/011-23381125/011- 23098543 से प्राप्त की जा सकती है. **यदि उम्मीदवार से प्रवेश प्रमाण पत्र प्राप्त होने के संबंध में कोई सूचना आयोग कार्यालय में परीक्षा प्रारंभ होने से कम से कम तीन सप्ताह पूर्व तक प्राप्त नहीं होती है तो इसके लिये उम्मीदवार प्रवेश प्रमाण पत्र प्राप्त न होने के लिये वह स्वयं ही जिम्मेदार होगा.** यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रवेश प्रमाण पत्र उम्मीदवार द्वारा आवेदन प्रपत्र में दिए गए पते की फोटो कापी लेकर प्रेषित किये जायेंगे. अतः उम्मीदवार ये सुनिश्चित कर लें कि उनके द्वारा आवेदन प्रपत्र में दिया गया पता पिन कोड सहित पूर्ण होना चाहिए.

सामान्यतः किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में प्रवेश प्रमाणपत्र के बिना बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी. प्रवेश प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर इसकी सावधानीपूर्वक जांच कर लें तथा किसी प्रकार की त्रुटि/असंगति होने पर आयोग को तुरंत इसकी जानकारी दें.

किसी कोर्स में प्रवेश विभिन्न कोर्सों की शैक्षिक योग्यता के आधार पर उनकी पात्रता तथा उम्मीदवार द्वारा दिये गये वरीयता क्रम को ध्यान में रखकर दिया जाएगा.

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि परीक्षा में उनका प्रवेश उनके द्वारा आवेदन प्रपत्र में दी गई जानकारी के आधार पर रहेगा. यह आयोग द्वारा पात्रता की शर्तों के सत्यापन किए जाने पर आधारित होगा.

(ii) यदि किसी उम्मीदवार को आयोग से एक से अधिक प्रवेश प्रमाण-पत्र प्राप्त हो तो वह परीक्षा में बैठने के लिए उनमें से किसी एक प्रवेश प्रमाण पत्र का ही प्रयोग करें तथा अन्य प्रवेश प्रमाण पत्र आयोग के कार्यालय को वापिस कर दें.

(iii) यदि किसी उम्मीदवार को गलती से किसी अन्य उम्मीदवार का प्रवेश प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाये तो उसे तत्काल आयोग को वापिस कर दे तथा सही प्रवेश प्रमाण पत्र प्रेषित करने का अनुरोध करना चाहिए. उम्मीदवार को ध्यान रखना चाहिए कि किसी अन्य उम्मीदवार के प्रवेश प्रमाण पत्र के आधार पर परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

(iv) उम्मीदवार के आवेदन प्रपत्र की स्वीकार्यता तथा वह उक्त परीक्षा में प्रवेश का पात्र है या नहीं है इस बारे में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा.

(v) उम्मीदवार ध्यान रखें कि प्रवेश प्रमाण पत्र में कहीं-कहीं नाम तकनीकी कारणों से संक्षिप्त रूप में लिखे जा सकते हैं.

(vi) उम्मीदवार को इस बात की व्यवस्था अवश्य कर लेनी चाहिए कि उसके आवेदन प्रपत्र में उल्लिखित पते पर भेजे गए पत्र आदि आवश्यक होने पर उसको बदले हुए पते पर मिल जाया करें. पते में किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर आयोग को उसकी सूचना यथाशीघ्र दी जानी चाहिए. आयोग ऐसे परिवर्तनों पर ध्यान देने का पूरा पूरा प्रयत्न करता है, किन्तु इस विषय में कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं कर सकता.

महत्त्वपूर्ण : आवेदन के संबंध में सभी पत्र-व्यवहार परिक्षा नियंत्रक, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली-110069 के पते पर करना चाहिए और उसमें निम्नलिखित विवरण अवश्य होना चाहिए.

1. परीक्षा का नाम और वर्ष
2. आवेदन प्रपत्र संख्या
3. अनुक्रमांक (यदि मिला हो)
4. उम्मीदवार का नाम (पूरा और साफ लिखा हुआ)
5. पत्र व्यवहार का पता, जैसा आवेदन प्रपत्र में दिया है.

विशेष ध्यान-1 : जिन पत्रों में ऊपर का ब्यौरा नहीं होगा, हो सकता है, उन पर कोई कार्रवाई न हो.
विशेष ध्यान-2 : यदि किसी परीक्षा की समाप्ति के बाद किसी उम्मीदवार का पत्र/पत्रादि प्राप्त होता है या जिसमें उसका पूरा नाम और अनुक्रमांक नहीं दिया गया है तो उस पर ध्यान नहीं दिया जायेगा, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी.

सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार के लिए आयोग द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों के अगर परीक्षा के लिये आवेदन करने के बाद, अपना पता बदल लिया हो तो उनको चाहिये कि परीक्षा के लिये लिखित भाग के परिणाम घोषित हो जाते ही अपना नया पता तत्काल; सेना को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवारों के लिए-सेना मुख्यालय, ए.जी. ब्रांच, आरटीजी (रा.र.अ. प्रविष्टि), पश्चिमी खंड III, स्कंध-1, आर.के.पुरम, नई दिल्ली-110066, दूरभाष सं. : 26175473

नौसेना/नौसेना अकादमी को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवारों के लिए नौ सेना मुख्यालय, जनशक्ति एवं भर्ती निदेशालय, ओ आई एण्ड आर अनुभाग, कमरा नं. 204, 'सी' स्कंध, सेना भवन, नई दिल्ली-110011 दूरभाष सं. 23010097/23011282.

वायु सेना को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवारों के लिए वायु सेना मुख्यालय, कार्मिक (अधिकारी) निदेशालय, पी.ओ. 3-(ए), कमरा नं. 17, 'जे' ब्लाक, वायु सेना भवन के सामने, मोतीलाल नेहरू मार्ग, नई दिल्ली-110011 दूरभाष सं. : 23010231 एक्सटेंशन 7081, को सूचित कर देना चाहिए.

जो उम्मीदवार इन अनुदेशों का पालन नहीं करेगा वह सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार के लिये सम्मन-पत्र न मिलने पर अपने मामले में विचार किये जाने के दावे से वंचित हो जाएगा.

जिन उम्मीदवारों के नाम सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार हेतु रिपोर्ट करने के लिए अनुशंसित हैं वह अपने साक्षात्कार के संबंध में सभी पूछताछ और अनुरोध लिखित परीक्षा के परिणाम की घोषणा से 20 दिन के पश्चात् सम्बन्धित सर्विस हेडक्वार्टस के निम्नलिखित पते पर संपर्क करें या वेबसाइट को देखें :-

सेना को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवारों के लिए - सेना मुख्यालय, ए.जी. ब्रांच, आरटीजी (रा.र.अ. प्रविष्टि), पश्चिमी खण्ड III, स्कंध-(I), आर.के. पुरम नई दिल्ली-110066, दूरभाष सं. 26175473, या **www.indianarmy.nic.in**

नौसेना/नौ सेना अकादमी को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवारों के लिए-नौ सेना मुख्यालय, जनशक्ति एवं भर्ती निदेशालय, आर एण्ड आर अनुभाग, कमरा नं. 204, 'सी' स्कंध, सेना भवन, नई दिल्ली-110011, दूरभाष सं. 23010097/ 23011282 या **www.nausenabharti.nic.in**

वायु सेना को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवार के लिए-वायु सेना मुख्यालय, कार्मिक (अधिकारी) निदेशालय, पी.ओ.3(ए), कमरा नं. 17, 'जे' ब्लाक, वायु सेना भवन के सामने, मोतीलाल नेहरू मार्ग, नई दिल्ली-110011, दूरभाष सं. 23010231 एक्सटेंशन 7081/7082 या **www.careerairforce.nic.in** के पते पर लिखने चाहिए.

उम्मीदवार को भेजे गये सम्मन-पत्र द्वारा सूचित तारीख को सेवा चयन बोर्ड के समक्ष साक्षात्कार के लिये पहुंचना है. साक्षात्कार को स्थगित करने से संबद्ध अनुरोध पर केवल अपवादात्मक परिस्थितियों में और प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखकर ही विचार किया जायेगा जिसके लिए निर्णायक प्राधिकरण सेना मुख्यालय होगा. इस प्रकार के अनुरोध उस चयन केन्द्र के प्रशासनिक अधिकारी को संबोधित होने चाहिए जहां से साक्षात्कार हेतु अह्वान-पत्र (कॉल लेटर) प्राप्त हुआ है. सेना/नौ सेना/वायु सेना मुख्यालय में प्राप्त पत्रों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी. लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों के सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार **जनवरी 2012 - मध्य अप्रैल 2012** में अथवा भर्ती निदेशालय की सुविधानुसार किए जाएंगे.

9. लिखित परीक्षा के परिणाम की घोषणा, अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों का साक्षात्कार, अंतिम परिणामों की घोषणा और अंतिम रूप से अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों का प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रवेश :

संघ लोक सेवा आयोग लिखित परीक्षा में आयोग के स्वनिर्णय पर निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करेगा. ये उम्मीदवार बुद्धिमता परीक्षण तथा व्यक्तित्व परीक्षण के लिये सेवा चयन बोर्ड के सामने हाजिर होंगे, जहां राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के थल सेना, नौ सेना स्कंधों और भारतीय नौ सेना अकादमी 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम के उम्मीदवारों की अधिकारी क्षमता तथा वायु सेना के उम्मीदवारों का पाइलट एप्टीट्यूड परीक्षण तथा अधिकारी क्षमता का मूल्यांकन किया जाएगा. वायु सेना को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवारों के मामले में लागू पीएबीटी सेवा चयन बोर्ड से अर्हता प्राप्त उन सभी उम्मीदवारों के लिए भी जिन्होंने वायु सेना एक वरीयता के रूप में दी है उनकी योग्यता और इच्छा के आधार पर किया जाएगा.

दो चरणों की चयन प्रक्रिया

मनोवैज्ञानिक अभिरुचि परीक्षण और बुद्धिमत्ता परीक्षण पर आधारित दो चरणों की चयन-प्रक्रिया चयन केन्द्रों/वायु सेना चयन बोर्डों में प्रारंभ कर दी गई है, सभी उम्मीदवारों को चयन केंद्रों/वायु सेना चयन केंद्रों पर पहुंचने से पहले दिन प्रथम चरण परीक्षण में रखा जाएगा. केवल उन्हीं उम्मीदवारों को द्वितीय चरण/शेष परीक्षणों के लिए प्रवेश दिया जाएगा, जिन्होंने पहला चरण उत्तीर्ण कर लिया होगा. वे उम्मीदवार जो चरण-II उत्तीर्ण कर लेंगे उन्हें इन प्रत्येक में से (i) अपनी जन्मतिथि के समर्थन में लिए मैट्रिक उत्तीर्ण या समकक्ष प्रमाण पत्र; और (ii) शैक्षिक योग्यता के समर्थन में 10+2 या समकक्ष उत्तीर्ण के प्रमाण पत्र की मूल प्रति के साथ-साथ 2 फोटो प्रति भी जमा करनी होंगी.

जो उम्मीदवार सेवा चयन बोर्ड के सामने हाजिर होकर वहां परीक्षण देंगे वे अपने ही जोखिम पर इन परीक्षणों में शामिल होंगे और सेवा चयन बोर्ड में उनका जो परीक्षण होता है, उसके दौरान या उसके फलस्वरूप अगर उनको किसी व्यक्ति की लापरवाही से या अन्यथा कोई चोट पहुंचती है उसके लिए वे सरकार की ओर से कोई क्षतिपूर्ति या सहायता पाने के हकदार नहीं होंगे. उम्मीदवारों के माता-पिता या अभिभावकों को इस आशय के एक प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे.

स्वीकार्यता हेतु थल सेना/नौ सेना/नौ सेना अकादमी और वायु सेना के उम्मीदवारों को 1 लिखित परीक्षा तथा 2 अधिकारी क्षमता परीक्षण में अलग-अलग न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करने होंगे, जो क्रमशः आयोग तथा सेवा चयन बोर्ड द्वारा उनके स्वनिर्णय के अनुसार निर्धारित किए जायेंगे. वायु सेना के उम्मीदवारों के अतिरिक्त सेवा चयन बोर्ड अर्हता प्राप्त सभी उम्मीदवारों को अपनी इच्छानुसार पात्रता और वायु सेना एक वरीयता के रूप में दी हो, पीएबीटी में अलग अर्हता प्राप्त करनी होगी.

अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों को इन शर्तों पर उनके द्वारा लिखित परीक्षा तथा सेवा चयन बोर्ड के परीक्षणों में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर एकल संयुक्त सूची में रखा जाएगा. राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की थल सेना, नौ सेना, वायु सेना में और भारतीय नौ सेना, अकादमी की 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम में प्रवेश के लिए अंतिम रूप से नियतन/चयन, उपलब्ध रिक्तियों की संख्या को देखते हुए उम्मीदवारों की पात्रता, शारीरिक स्वास्थता और योग्यता/सह-वरीयता के अनुसार होगा. वे उम्मीदवार जो एक से अधिक सेवाओं/पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के पात्र हैं, उनके नियतन/चयन पर, उनके द्वारा दिए गए वरीयता-क्रम के संदर्भ में विचार किया जाएगा और किसी एक सेवा/पाठ्यक्रम में उनके अंतिम रूप से नियतन/चुन लिए जाने पर, उनके नाम पर शेष सेवाओं/पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए विचार नहीं किया जाएगा.

विशेष ध्यान : वायु सेना के प्रत्येक उम्मीदवार का पायलट एप्टीट्यूड परीक्षण केवल एक बार किया जाता है अतः उसके द्वारा प्रथम परीक्षण में प्राप्त ग्रेड वायु सेना चयन बोर्ड के सामने बाद में होने वाले साक्षात्कार में स्वीकार किया जाएगा. जो उम्मीदवार पायलट एप्टीट्यूड के प्रथम परीक्षण में असफल हो जाता है वह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परीक्षा के वायु सेना विंग या जनरल ड्यूटी (पायलट) ब्रांच या नेवल एयर आर्म में प्रवेश के लिए आवेदन नहीं कर सकता.

जिन उम्मीदवारों का किसी पिछले राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कोर्स में पायलट एप्टीट्यूड परीक्षण हो चुका है तो उन्हें इस परीक्षा के वायु सेना विंग के लिये तभी आवेदन करना चाहिए, अगर उन्होंने यह प्रशिक्षण उत्तीर्ण कर लिया हो. अलग-अलग उम्मीदवारों को परीक्षा के परिणाम किस रूप में और किस प्रकार सूचित किए जायें इस बात का निर्णय आयोग अपने आप करेगा और परिणाम के संबंध में उम्मीदवारों से कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा.

परीक्षा में सफल होने मात्र से अकादमी में प्रवेश का कोई अधिकार नहीं मिलेगा. उम्मीदवार को नियुक्ति प्राधिकारी को संतुष्ट करना होगा कि वह अकादमी में प्रवेश के लिए सभी तरह से उपयुक्त है.

10. प्रशिक्षण कोर्स में प्रवेश के लिए अनर्हताएं :

जो उम्मीदवार राष्ट्रीय रक्षा अकादमी अथवा भारतीय नौ सेना अकादमी की 10+2 कैडेट एंट ्री स्कीम के किसी पहले कोर्स में प्रवेश पा चुके थे पर अधिकारी सुलभ विशेषताओं के अभाव के कारण या अनुशासनिक आधार पर वहां से निकाल दिये गये थे उनको अकादमी में प्रवेश नहीं दिया जाएगा.

किंतु जिन उम्मीदवारों को अस्वस्थता के आधार पर पहले राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, भारतीय नौसेना अकादमी से वापस ले लिया गया था या जिन्होंने अपनी इच्छा से उक्त अकादमी छोड़ दी हो उन्हें अकादमी में प्रवेश मिल सकता है बशर्ते कि वे स्वास्थ्य तथा अन्य निर्धारित शर्तें पूरी करते हों.

11. उम्मीदवार को अपना आवेदन प्रपत्र प्रस्तुत कर देने के बाद उम्मीदवारी वापस लेने से संबद्ध उसके किसी भी अनुरोध को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा.

12. (क) परीक्षा की योजना, स्तर और पाठ्य विवरण (ख) आवेदन प्रपत्र भरने के लिए दिशानिर्देश/अनुदेश (ग) मुख्य डाकघरों/डाकघरों जहां से आवेदन प्रपत्र खरीदे जा सकते हैं, की सूची (घ) वस्तुपरक परीक्षणों हेतु उम्मीदवार के लिए विशेष अनुदेश (ङ) अकादमी में प्रवेश हेतु शारीरिक मानक से मार्गदर्शक संकेत और (च) राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा नौ सेना अकादमी में प्रवेश पाने वाले उम्मीदवारों की सेवा आदि के संक्षिप्त विवरण आदि की विस्तृत जानकारी के संबंध में क्रमशः परिशिष्ट I,II (क) और (ख), III,IV,V, और VI में विस्तार से समझाया गया है.

कुलदीप कुमार सहरावत
उप सचिव
संघ लोक सेवा आयोग

परिशिष्ट-I

(परीक्षा की योजना, स्तर और पाठ्य विवरण)

(क) परीक्षा की योजना :

1. लिखित परीक्षा के विषय, नियत समय तथा प्रत्येक विषय के अधिकतम अंक निम्नलिखित होंगे.

विषय	कोड	अवधि	अधिकतम अंक
गणित	01	2-1/2 घंटे	300
सामान्य योग्यता परीक्षण	02	2-1/2 घंटे	600
		कुल	**900**
सेवा चयन बोर्ड टेस्ट/साक्षात्कार			900

2. सभी विषयों के प्रश्न-पत्रों में केवल वस्तुपरक प्रश्न ही होंगे. गणित और सामान्य योग्यता परीक्षण के भाग-ख के प्रश्न पत्र (परीक्षण पुस्तकाएं) द्विभाषी रूप हिन्दी और अंग्रेजी में तैयार किये जाएंगे.
3. प्रश्न पत्रों में, जहां भी आवश्यक होगा केवल तोल और माप की मीटरी पद्धति से संबंधित प्रश्नों को ही पूछा जाएगा.
4. उम्मीदवारों को प्रश्न पत्रों के उत्तर अपने हाथ से लिखने चाहिए. किसी भी हालत में उन्हें प्रश्न-पत्र के उत्तर लिखने के लिए लिखने वाले की सहायता सुलभ नहीं की जायेगी.
5. परीक्षा के एक अथवा सभी विषयों के अर्हक अंकों का निर्धारण आयोग की विविक्षा पर रहेगा.
6. उम्मीदवारों को वस्तुपरक प्रश्न पत्रों (प्रश्न- पुस्तिकाओं) के उत्तर लिखने के लिये केलकुलेटर अथवा गणितीय अथवा लघुगणकीय सारणियां प्रयोग करने की अनुमति नहीं है, अतः ये उन्हें परीक्षा भवन में नहीं लानी चाहिए.

(ख) परीक्षा का स्तर और पाठ्य विवरण :

प्रश्नपत्र-I

गणित

(कोड संख्या 01)

(अधिकतम अंक 300)

1. बीज गणित :

समुच्चय की अवधारणा, समुच्चयों पर संक्रिया, वेन आरेख. द-मारगन नियम, कार्तीय गुणन, संबंध, तुल्यता-संबंध.

वास्तविक संख्याओं का एक रेखा पर निरूपण. संमिश्र संख्याएं-आधारभूत गुणधर्म, मापक, कोणांक, इकाई का घनमूल, संख्याओं की द्विआधारी प्रणाली. दशमलव प्रणाली की एक संख्या का द्विआधारी प्रणाली में परिवर्तन तथा विलोमतः परिवर्तन. अंकगणितीय, ज्यामितीय तथा हरात्मक श्रेणी, वास्तविक गुणांकों सहित द्विघात समीकरण. ग्राफों द्वारा दो चरों वाले रेखिक असमिका का हल. क्रमचय तथा संचय. द्विपद प्रमेय तथा इसके अनुप्रयोग लघुगणक तथा उनके अनुप्रयोग.

2. आव्यूह तथा सारणिक :

आव्यूहो के प्रकार, आव्यूहों पर संक्रिया आव्यूह के सारणिक, सारणिकों के आधारभूत गुणधर्म, वर्ग आव्यूह के सहखंडन तथा व्युत्क्रम, अनुप्रयोग-दो या तीन अज्ञातों में रैखिक समीकरणों के तंत्र का कैमर के नियम तथा आव्यूह पद्धति द्वारा हल.

3. त्रिकोणमिति :

कोण तथा डिग्रियों तथा रेडियन में उनका मापन त्रिकोणमितीय अनुपात. त्रिकोणमितीय सर्वसमिका योग तथा अंतर सूत्र. बहुल तथा अपर्वतक कोण. व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय फलन. अनुप्रयोग-ऊंचाई तथा दूरी, त्रिकोणों के गुणधर्म.

4. दो तथा तीन विमाओं की विश्लेषिक ज्यामिति :

आयतीय कार्तीय निर्देशक पद्धति, दूरी सूत्र, एक रेखा का विभिन्न प्रकारों में समीकरण. दो रेखाओं के मध्य कोण एक रेखा से एक बिन्दु की दूरी, मानक तथा सामान्य प्रकार में एक वृत्त का समीकरण. परवलय, दीर्घवृत्त तथा अतिपरवलय के मानक प्रकार. एक शांकव की उत्केंद्रता तथा अक्ष. त्रिविम आकाश में बिन्दु, दो बिन्दुओं के मध्य दूरी. दिक्-को साइन तथा दिक्-अनुपात. समतल तथा रेखा के विभिन्न प्रकारों में समीकरण. दो रेखाओं के मध्य कोण तथा दो तलों के मध्य काण. गोले का समीकरण.

5. अवकल गणित :

वास्तविक मान फलन की अवधारणा-फलन का प्रांत, रेंज व ग्राफ. संयुक्त फलन, एकेंकी, आच्छादक तथा व्युत्क्रम फलन, सीमांत की धारणा, मानक सीमांत-उदाहरण. फलनों के सांतत्य-उदाहरण, सांतत्य फलनों पर बीज गणितीय संक्रिया. एक बिन्दु पर एक फलन का अवकलन एक अवकलन के ज्यातिमीय तथा भौतिक निर्वचन-अनुप्रोग. योग के अवकलज, गुणनफल और फलनों के भागफल, एक फलन का दूसरे फलन के साथ अवकलज, संयुक्त फलन का अवकलज. द्वितीय श्रेणी अवकलज, वर्धमान तथा ह्रास फलन. उच्चिष्ठ तथा अल्पिष्ठ की समस्याओं में अवकलजों का अनुप्रयोग.

6. समाकलन गणित तथा अवकलन समीकरण :

अवकलन के प्रतिलोम के रूप में समाकलन, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन तथा खंडशः समाकलन, बीजिय व्यंजकों सहित मानक समाकल, त्रिकोणमितीय, चरघातांकी तथा अतिपरवलयिक फलन निश्चित समाकलनों का मानांकन वक्ररेखाओं द्वारा घिरे समतल क्षेत्रों के क्षेत्रफलों का निर्धारण-अनुप्रयोग.

अवकलन समीकरण की डिग्री तथा कोटि की परिभाषा, उदाहरणों द्वारा अवकलन समीकरण की रचना. अवकल समीकरण का सामान्य तथा विशेष हल. विभिन्न प्रकार के प्रथम कोटि तथा प्रथम डिग्री अवकलन समीकरणों का हल-उदाहरण. वृद्धि तथा क्षय की समस्याओं में अनुप्रयोग.

7. सदिश बीजगणित :

दो तथा तीन विमाओं में सदिश, सदिश का परिमाण तथा दिशा, इकाई तथा शून्य सदिश, सदिशों का योग, एक सदिश का अदिश गुणन, दो सदिशों का अदिश गुणनफल या बिन्दुगुणनफल दो सदिशों का सदिश गुणनफल या क्रॉस गुणनफल, अनुप्रयोग-बल तथा बल के आघूर्ण तथा किया गया कार्य तथा ज्यामितीय समस्याओं में अनुप्रयोग.

8. सांख्यिकी तथा प्रायिकता :

सांख्यिकी : आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता-बंटन, संचयी बारंबारता-बंटन-उदाहरण, ग्राफीय निरूपण-आयत चित्र, पाई चार्ट, बारंबारता बहुभुज-उदाहरण केन्द्रीय प्रवृत्ति का मापन-माध्य, माध्यिका तथा बहुलक. प्रसरण तथा मानक विचलन-निर्धारण तथा तुलना. सहसंबंध तथा समाश्रयण.

प्रायिकता : यादृच्छिक प्रयोग, परिणाम तथा सहचारी प्रतिदर्श समष्टि, घटना, परस्पर अपरवर्जित तथा निश्शेष घटनाएं - असंभव तथा निश्चित घटनाएं, घटनाओं का सम्मिलन तथा सर्वनिष्ठ पूरक, प्रारंभिक तथा संयुक्त घटनाएं. प्रायिकता पर प्रारंभिक प्रमेय-साधरण प्रश्न. प्रतिदर्श समाविष्ट पर फलन के रूप में यादृच्छिक चर. द्विआधारी बंटन, द्विआधारी बंटन को उत्पन्न करने वाले यादृच्छिक प्रयोगों के उदाहरण.

प्रश्न पत्र-II

सामान्य योग्यता परीक्षण

(कोड संख्या 02)

(अधिकतम अंक-600)

भाग (क) अंग्रेजी :

(अधिकतम अंक 200)

अंग्रजी का प्रश्न-पत्र इस प्रकार का होगा जिससे उम्मीदवार की अंग्रेजी की समझ और शब्दों के कुशल प्रयोग का परीक्षण हो सके. पाठ्यक्रम में विभिन्न पहलू समाहित हैं जैसे व्याकरण और प्रयोग विधि शब्दावली तथा अंग्रेजी में उम्मीदवार की प्रवीणता की परख हेतु विस्तारित परिच्छेद की बोधगम्यता तथा संबद्धता.

भाख (ख) सामान्य ज्ञान :

(अधिकतम अंक 400)

सामान्य ज्ञान के प्रश्न-पत्रों में मुख्य रूप से भौतिकी, रसायन शास्त्र, सामान्य विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, भूगोल तथा सामायिक विषय आयेंगे. इस प्रश्न-पत्र में शामिल किए गए विषयों का क्षेत्र निम्न पाठ्य-विवरण पर आधारित होगा. उल्लिखित विषयों को सर्वांग पूर्ण नहीं मान लेना चाहिए तथा इसी प्रकार के ऐसे विषयों पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं जिनका इस पाठ्य विवरण में उल्लेख नहीं किया गया है. उम्मीदवार के उत्तरों में विषयों को बोधगम्य ढंग से समझने की मेधा और ज्ञान का पता चलना चाहिए.

खंड-क (भौतिकी) :

द्रव्य के भौतिक गुणधर्म तथा स्थितियां, संहति, भार, आयतन, घनत्व तथा विशिष्ट घनत्व, आर्कमिडिज का सिद्धांत, वायु दाब मापी, बिम्ब की गति, वेग और त्वरण, न्यूटन के गति नियम, बल और संवेग, बल समान्तर चर्तुभुज, पिण्ड का स्थायित्व और संतुलन, गुरुत्वाकर्षण, कार्य, शक्ति और ऊर्जा का प्रारंभिक ज्ञान.

ऊष्मा का प्रभाव, तापमान का माप और ऊष्मा, स्थिति परिवर्तन और गुप्त ऊष्मा, ऊष्मा अभिगमन की विधियां. ध्वनि तरंग और उनके गुण-धर्म, सरल वाद्य यंत्र, प्रकाश का ऋतुरेखीय चरण, परावर्तन और अपर्वतन, गोलीय दर्पण और लेन्सेज, मानव नेत्र, प्राकृतिक तथा कृत्रिम चुम्बक, चुम्बक के गुण धर्म. पृथ्वी चुम्बक के रूप में स्थैतिक तथा धारा विद्युत. चालक और अचालक, ओहम नियम, साधारण विद्युत परिपथ. धारा के मापन, प्रकाश तथा चुम्बकीय प्रभाव, वैद्युत शक्ति का माप. प्राथमिक और गौण सेल. एक्स-रे के उपयोग निम्नलिखित के कार्य के संचालन के सिद्धांत : सरल लोलक, सरल घिरनी, साइफन, उत्तोलक, गुब्बारा, पंप, हाइड्रोमीटर, प्रेशर कुकर, थर्मस फ्लास्क, ग्रामोफोन, टेलीग्राफ, टेलीफोन, पेरिस्कोप, टेलिस्कोप, माइक्रोस्कोप, नाविक दिक्सूचक, तड़ित चालक, सुरक्षा फ्यूज.

खंड-ख (रसायन शास्त्र) :

भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन, तत्व मिश्रण तथा यौगिक, प्रतीक सूत्र और सरल रासायनिक समीकरण रासायनिक संयोग के नियम (समस्याओं को छोड़कर) वायु तथा जल के रासायनिक गुण धर्म, हाइड्रोजन, आक्सीजन, नाइट्रोजन तथा कार्बन डाई-आक्साइड की रचना और गुण धर्म, आक्सीकरण और अपचयन.

अम्ल, क्षारक और लवण.

कार्बन-भिन्नरूप

उर्वरक-प्राकृतिक और कृत्रिम.

साबुन, कांच, स्याही, कागज, सीमेंट, पेंट, दियासलाई और गनपाउडर जैसे पदार्थों को तैयार करने के लिए आवश्यक सामग्री.

परमाणु की रचना, परमाणु तुल्यमान और अणुभार, संयोजयकता का प्रारंभिक ज्ञान.

खंड-ग (सामान्य विज्ञान) :

जड़ और चेतन में अंतर.

जीव कोशिकाओं, जीव द्रव और ऊतकों का आधार.

वनस्पति और प्राणियों में वृद्धि और जनन.

मानव शरीर और उसके महत्वपूर्ण अंगों का प्रारंभिक ज्ञान.

सामान्य महामारियों और उनके कारण तथा रोकने के उपाय.

खाद्य-मनुषय के लिए ऊर्जा का स्रोत. खाद्य के अवयव. संतुलित आहार, सौर परिवार, उल्का और धूमकेतु, ग्रहण.

प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों की उपलब्धियां

खंड-घ (इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन आदि) :

भारतीय इतिहास का मोटे तौर पर सर्वक्षण तथा संस्कृति और सभ्यता की विशेष जानकारी

भारत में स्वतंत्रता आंदोलन

भारतीय संविधान और प्रशासन का प्रारंभिक अध्ययन

भारत की पंचवर्षीय योजनाओं, पंचायती राज, सहकारी समितियां और सामुदायिक विकास की प्रारंभिक जानकारी

भूदान, सर्वोदय, राष्ट्रीय एकता और कल्याणकारी राज्य.

महात्मा गांधी के मूल उपदेश

आधुनिक विश्व निर्माण करने वाली शक्तियां, पुनर्जागरण, अन्वेषण और खोज, अमेरिका का स्वाधीनता संग्राम, फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति और रूसी क्रांति, समाज पर विज्ञान और औद्योगिकी का प्रभाव. एक विश्व की संकल्पना, संयुक्त राष्ट्र, पंचशील लोकतंत्र, समाजवाद तथा साम्यवाद, वर्तमान विश्व में भारत का योगदान.

खंड-ङ (भूगोल)

पृथ्वी, इसकी आकृति और आकार, अक्षांश और रेखांश, समय संकल्पना, अंतर्राष्ट्रीय तारीख रेखा, पृथ्वी की गतियां और उसके प्रभाव, पृथ्वी का उद्‌भव, चट्टानें और उनका वर्गीकरण, अपक्षय-यांत्रिक और रासायनिक, भूचाल तथा ज्वालामुखी, महासागर धाराएं और ज्वार-भाटे.

वायु मण्डल और इसका संगठन, तापमान और वायुमण्डलीय दाब.

भूमण्डलीय पवन, चक्रवात और प्रति चक्रवात, आर्द्रता, द्रव्यण और घर्षण.

जलवायु के प्रकार, विश्व के प्रमुख प्रकृतिक क्षेत्र, भारत का क्षेत्रीय भूगोल-जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, खनिज और शक्ति संसाधन, कृषि और औद्योगिक कार्यकलापों के स्थान और वितरण. भारत के महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन, मुख्य समुद्री, भू और वायु मार्ग, भारत के आयात और निर्यात की मुख्य मदें.

खंड-च (सामयिक घटनाएं) :

हाल ही के वर्षों में भारत में हुई महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी सामयिक महत्वपूर्ण विश्व घटनाएं.

महत्वपूर्ण व्यक्ति-भारतीय और अन्तर्राष्ट्रीय, इनमें सांस्कृतिक कार्यकलापों और खेलकूद से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्ति भी शामिल है.

टिप्पणी : इस प्रश्न-पत्र के भाग (ख) में नियत अधिकतम अंकों में सामान्यतः खण्ड क, ख, ग, घ, ङ तथा च प्रशनों के क्रमशः लगभग 25%, 15%, 10%, 20%, 20% तथा 10% अंक होंगे.

बुद्धि तथा व्यक्तित्व परीक्षण :

उम्मीदवार की बुनियादी बुद्धि की जांच करने के लिए साक्षात्कार के अतिरिक्त मौखिक तथा लिखित परीक्षा ली जाएगी. उनके ग्रुप परीक्षरण भी किए जाएंगे, जैसे ग्रुप परिचर्चा, ग्रुप योजना बहिरंग ग्रुप कार्यकलाप तथा उन्हें निर्दिष्ट विषयों पर संक्षिप्त व्याखान देने के लिए कहा जाएगा ये सभी परीक्षण उम्मीदवारों की मेघाशक्ति की जांच के लिये हैं. मोटे तौर पर ये परीक्षण वास्तव में न केवल उसके बौद्धिक गुणों की जांच के लिए अपितु इनसे उसकी सामाजिक विशेषताओं तथा सामयिक घटनाओं के प्रति दिलचस्पी का भी पता चलेगा.

परिशिष्ट-II (क)

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अनुदेश

उम्मीदवार वेबसाइट **http://www.upsconline.nic.in** का उपयोग करके ऑनलाइन आवेदन करें. ऑन लाइन आवेदन की प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं :-

- ◆ ऑन लाइन आवेदनों को भरने के लिए विस्तृत अनुदेश उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध हैं.
- ◆ उम्मीदवारों को ड्रॉप डाउन मेनू के माध्यम से उपर्युक्त साइट में उपलब्ध अनुदेशों के अनुसार दो चरणों अर्थात् भाग-I और भाग-II में निहित ऑन लाइन आवेदन प्रपत्र को पूरा करना अपेक्षित होगा.
- ◆ **उम्मीदवारों को सख्त सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन करें.**
- ◆ ऑन लाइन आवेदन करने वाले उम्मीदावारों को कम किए गए 50/- ₹ (केवल पचास रुपये) के शुल्क (अ.जा., अ.ज.जा. उम्मीदवारों, जिन्हें शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त है, को छोड़कर) को या तो भारतीय स्टेट बैंक की किसी शाखा में नकद जमा करके या भारतीय स्टेट बैंक की नेट बैंकिंग सुविधा का उपयोग करके या वीजा/मास्टरथ्क्रेडिट/डेबिट कार्ड का उपयोग करके भुगतान करना अपेक्षित है.
- ◆ ऑन लाइन आवेदन भरना आरंभ करने से पहले उम्मीदवार को अपना फोटोग्राफ और हस्ताक्षर ऐसे तरीके से .पीएनजी / .जेपीजी प्रारूप में विधिवत रूप से स्कैन करना है कि प्रत्येक 40 केबी से अधिक नहीं हो.
- ◆ ऑन लाइन आवेदन (भाग-I और भाग-II) को **दिनांक 9 अप्रैल, 2011 से 9 मई 2011 रात 11.59 बजे** तक भरा जा सकता है जिसके पश्चात् लिंक निरूपयोज्य होगा.

परिशिष्ट-II (ख)

ऑफलाइन आवेदन प्रपत्र भरने के लिए अनुदेश/मार्ग निर्देश

सामान्य अनुदेश

1. उम्मीदवार **संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए परिशिष्ट-III में सूचीबद्ध किसी भी विनिर्दिष्ट प्रधान डाकघर/डाकघर से खरीदी गई सूचना विवरणिका पुस्तिका के साथ दी गई ओएमआर प्रविष्टियों पर आधारित केवल सामान्य प्रपत्र (फार्म-ई) (मूल्य ₹ 30) का ही इस्तेमाल करें. उम्मीदवार किसी भी स्थिति में प्रपत्र की छाया प्रति/प्रतिलिपि/अनधिकृत मुद्रित प्रति का प्रयोग न करें.** आयोग कार्यालय द्वारा प्रपत्र की आपूर्ति **नहीं** की जाएगी.
2. उम्मीदवारों को आवेदन प्रपत्र अपने हस्तलेख में ही भरना चाहिए . चूंकि, इस आवेदन प्रपत्र की जांच कंप्यूटर मशीन द्वारा की जाएगी, उम्मीदवार **आवेदन प्रपत्र को संभालने और उसे भरने में पर्याप्त ध्यान दें . वृत्तों को काला करने के लिए वे केवल काले बाल प्वाइंट पेन का इस्तेमाल करें. लिखने के लिए भी उन्हें काले बाल प्वाइंट पेन का ही इस्तेमाल करना चाहिए.**
   चूंकि कंप्यूटरीकृत मशीनों पर आवेदन प्रपत्रों की जांच करते समय उम्मीदवार द्वारा वृत्तों को काला करके की गई प्रविष्टियों पर ही ध्यान दिया जाएगा, इसलिए अपनी प्रविष्टियां काफी सावधानी से और सटीक रूप में भरनी चाहिएं.
3. उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा सभी स्थानों अर्थात् उनके आवेदन प्रपत्र, उपस्थिति सूची आदि और आयोग के साथ सभी पत्राचार, में किए गए हस्ताक्षर समरूप हों और उनमें किसी प्रकार की कोई भिन्नता न हो. यदि उनके द्वारा विभिन्न स्थानों पर उम्मीदवार द्वारा अनुबद्ध किए गए हस्ताक्षरों में कोई अंतर पाया जाता है तो आयोग द्वारा उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी.
4. मूल आवेदन प्रपत्र में की गयी प्रविष्टियों में किसी भी स्थिति में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
5. उम्मीदवारों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे **यह सुनिश्चित कर लें कि उनका आवेदन प्रपत्र अंतिम तारीख को या उससे पूर्व आयोग के कार्यालय में पंहुच जाए.** अंतिम तारीख के बाद आयोग कार्यालय में प्राप्त होने वाले आवेदन प्रपत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा.
6. उम्मीदवार अपना आवेदन प्रपत्र भरते समय, अपने परीक्षा केंद्र के चयन का निर्णय सावधानीपूर्वक करें.
7. **उम्मीदवारों को चाहिए कि वे पावती कार्ड पर अपना आवेदन प्रपत्र सं. और परीक्षा का नाम अर्थात् "राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा नौसेना अकादमी परीक्षा (II), 2011" लिखें.** उन्हें पावती कार्ड पर साफ-साफ और स्पष्ट शब्दों में अपने पत्राचार का पता लिखना चाहिए और कार्ड पर ₹ 6/- का **डाक टिकट** चिपकाना चाहिए . **पावती कार्ड को आवेदन प्रपत्र के साथ स्टेपल या आलपिन लगाकर नत्थी न करें या प्रपत्र के साथ न चिपकाएं.?**

पात्रता शर्तें (संक्षेप में)

(क) आयु-सीमाएं, लिंग तथा वैवाहिक स्थिति :

केवल ऐसे अविवाहित पुरुष उम्मीदवार जिनका जन्म **दो जुलाई, 1993** से पहले न हुआ हो, तथा **पहली जनवरी, 1996** के बाद न हुआ हो, पात्र हैं.

(ख) शैक्षिक योग्यताएं :

(i) **राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के थल सेना स्कंध के लिए :** किसी राज्य शिक्षा बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 10 + 2 स्कूली शिक्षा प्रणाली की 12वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष योग्यता.

(ii) **राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के वायुसेना तथा नौ सेना स्कंध तथा भारतीय नौ सेना अकादमी की 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम के लिए :** किसी राज्य शिक्षा बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित भौतिकी और गणित सहित 10 +2 स्कूली शिक्षा प्रणाली की 12वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष योग्यता.

जो उम्मीदवार 10+2 स्कूली शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत 12वीं कक्षा में बैठ रहे हैं वे भी इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं.

(ग)शुल्क :

रु. 100/- (केवल सौ रु.) जो उम्मीदवार आफलाइन आवेदन करना चाहते हैं. (अ.जा./अ.ज.जा.के उम्मीदवारों के लिए कोई शुल्क नहीं).

(नोटिस के पैरा 4 का अवलोकन करें)

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा नौ सेना अकादमी परीक्षा (II), 2011 के आवेदन प्रपत्र (प्रपत्र-ई) भरने हेतु उम्मीदवारों के लिए अनुदेश

महत्वपूर्ण : इस प्रपत्र को भरने के लिए केवल काले बॉल प्वाइंट पेन का प्रयोग किया जाए.

आवेदन पत्र का पृष्ठ-1

कॉलम-1 : परीक्षा, जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है (यदि पात्र हैं)

परीक्षा का नाम, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा नौ सेना अकादमी परीक्षा (II), 2011 (केवल अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में लिखें).

परीक्षा का वर्ष, 2011 के रूप में लिखें.

परीक्षा कोड के रूप में 08 गोलों को काला करें.

कालम 2 : उम्मीदवार का नाम

इस कॉलम को भरने के लिए, बॉक्सों में पहले अपना पूरा नाम (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में) ठीक वैसे ही लिखें, जैसा आपके मैट्रिकुलेशन/हाई स्कूल/सैकेण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण-पत्र में दर्ज है. एक बॉक्स में एक ही अक्षर लिखें. नाम के किन्हीं दो हिस्सों के बीच के एक बॉक्स को खाली छोड़ें. तत्पश्चात, प्रत्येक अक्षर के नीचे के संबंधित गोले को काला करें. खाली बॉक्स के नीचे वाले गोले को काला न करें. अपने नाम से पहले किसी भी उपसर्ग जैसे श्री, डॉ. इत्यादि का प्रयोग न करें.

कालम - 3 : जन्म की तारीख.

अपने मैट्रिकुलेशन/हाई स्कूल/सैकेण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण-पत्र में दर्ज जन्म के दिन, महीने और वर्ष के अंतिम दो अंकों के लिए उचित गोले को काला करें.

कालम - 4 : लिंग

चूंकि केवल पुरुष उम्मीदवार ही इस परीक्षा के लिए पात्र हैं, अतः वे (पुरुष उम्मीदवार) पुरुष के सामने वाले गोले को काला करें.

कालम - 5 : राष्ट्रीयता

अपने लिए लागू उचित गोले को काला करें.

कालम - 6 : वैवाहिक स्थिति

चूंकि केवल अविवाहित उम्मीदवार ही इस परीक्षा के लिए पात्र हैं, वे (अविवाहित उम्मीदवार) 'अविवाहित' के सामने वाले गोले को काला करें.

कालम - 7 : केन्द्रीय भर्ती शुल्क टिकट

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा नौ सेना अकादमी परीक्षा (II), 2011 के लिए देय शुल्क ₹ 100/- (केवल एक सौ रुपये) है. अ.जा./अ.ज.जा उम्मीदवारों को कोई शुल्क नहीं देना होगा.

शुल्क **केवल केन्द्रीय भर्ती शुल्क टिकट** के माध्यम से देय है (डाक टिकट से नहीं). भुगतान का कोई अन्य तरीका स्वीकार्य नहीं है. डाकघर से उचित मूल्य वर्ग का **केवल** एक **ही** के.भ.शु. टिकट प्राप्त कर उसे बॉक्स में अच्छी तरह से चिपका दें. के.भ.शु. टिकट प्रपत्र पर चिपकाने के बाद, उसे उसी डाकघर से, जहां से खरीदा गया था, यथा-स्थान निरस्त करवा लें . के.भ.शु. टिकट को स्टेपल न करें.

कालम - 8 : पिता का नाम

अपने पिता का नाम (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में) लिखें . प्रत्येक बॉक्स में एक ही अक्षर लिखें, नाम के किन्हीं दो हिस्सों के बीच एक बॉक्स को खाली छोड़ें . नाम से पहले किसी उपसर्ग जैसे श्री डॉ. इत्यादि का प्रयोग न करें.

कालम - 9 : माता का नाम

अपनी माता का नाम (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में) लिखें. प्रत्येक बॉक्स में एक ही अक्षर लिखें. नाम के दो हिस्सों के बीच एक बॉक्स को खाली छोड़ें. नाम से पहले किसी उपसर्ग जैसे श्रीमती, डॉ. इत्यादि का प्रयोग न करें.

कालम - 10 : परीक्षा केन्द्र कोड

नीचे दी गई सूची में से उस परीक्षा केन्द्र कोड को चुनें, जहां आप राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा नौ सेना अकादमी परीक्षा (II), 2011 में उपस्थित होना चाहते हो और तत्पश्चात उपयुक्त गोलों को काला कर दें.

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा नौ सेना अकादमी परीक्षा (II), 2011 के केंद्रों की सूची तथा उनके कोड

केंद्र	कोड	केंद्र	कोड	केंद्र	कोड
अगरतला	45	गंगटोक	42	पणजी (गोवा)	36
अहमदाबाद	01	हैदराबाद	10	पटना	15
आइजोल	47	इम्फाल	44	पोर्ट ब्लेयर	37
इलाहाबाद	02	ईटानगर	48	रायपुर	49
बंगलौर	03	जयपुर	11	रांची	41
बरेली	54	जम्मू	34	संबलपुर	53
भोपाल	04	जोरहाट	46	शिलांग	16
चंडीगढ़	35	कोच्चि	24	शिमला	17
चेन्नई	12	कोहिमा	43	श्रीनगर	18
कटक	07	कोलकाता	06	तिरूवनन्तपुरम	19
देहरादून	14	लखनऊ	26	तिरूपति	50
दिल्ली	08	मदुरै	40	उदयपुर	52
धारवाड़	39	मुम्बई	05	विशाखापट्नम	51
दिसपुर	09	नागपुर	13		

कालम 11: शैक्षिक? योग्यता कोड

नीचे दिए गए सही शैक्षिक योग्यता कोड का चयन करें और उसके बाद अपने लिए लागू उपयुक्त गोलों को काला करें.

कोड	शैक्षिक योग्यता
1	10 + 2 स्कूली शिक्षा प्रणाली की 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो, परंतु 12वीं कक्षा में भौतिकी एवं गणित को एक साथ विषयों के रूप में न लिया हो.
2	10 + 2 स्कूली शिक्षा प्रणाली की 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो, और लिए गए विषयों में भौतिकी एवं गणित दोनों हों.
3	10 + 2 स्कूली शिक्षा प्रणाली की 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा में बैठे हों/बैठ रहे हों, परंतु 12वीं कक्षा में भौतिकी एवं गणित को एक साथ विषयों के रूप में न लिया हो.
4	10 + 2 स्कूली शिक्षा प्रणाली की 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा में बैठे हों/बैठ रहे हों और लिए गए विषयों में भौतिकी एवं गणित दोनों हों.

व्याख्या

जिन उम्मीदवारों ने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की है, परंतु 12वीं कक्षा में भौतिकी एवं गणित को एक साथ विषयों के रूप में नहीं लिया है वे कोड 01 भरें.

जिन उम्मीदवारों ने 12वीं कक्षा, भौतिकी एवं गणित दोनों विषयों सहित उत्तीर्ण की है, वे कोड 02 भरें.

जो उम्मीदवार 12वीं कक्षा में बैठ चुके हैं/बैठ रहे हैं परंतु जिन्होंने 12वीं कक्षा में भौतिकी एवं गणित को एक साथ विषयों के रूप में नहीं लिया है, वे कोड 03 भरें.

जो उम्मीदवार 12वीं कक्षा में भौतिकी एवं गणित दोनो विषयों सहित बैठे हैं/बैठ रहे हैं, वे कोड 04 भरें.

कालम 12: आयु में छूट संबंधी कोड

चूंकि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा नौसेना अकामदी परीक्षा में किसी भी श्रेणी के लिए आयु में छूट का प्रावधान नहीं है, यह कॉलम खाली छोड़ दें.

कालम 13: सुदूर क्षेत्र/विदेश संबंधी कोड

यदि आप अपना आवेदन किसी सुदूर क्षेत्र अथवा विदेश से भेज रहे हैं, तो नीचे दी गई तालिका से संगत कोड का चयन करें और उपयुक्त गोलों को काला करें.

सुदूर क्षेत्रों तथा विदेश के लिए एरिया कोड

क्षेत्र	कोड	क्षेत्र	कोड
असम	01	जम्मू और कश्मीर	09
मेघालय	02	हिमाचल प्रदेश का लाहौल और स्पीति जिला तथा चंबा जिले का पांगी उप-मंडल	10
अरूणाचल प्रदेश	03		
मिज़ोरम	04		
मणिपुर	05	अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	11
नागालैंड	06	लक्षद्वीप	12
त्रिपुरा	07	विदेश	13
सिक्किम	08		

कृपया ध्यान दें: परीक्षा के नोटिस में यथा निर्दिष्ट सुदूर क्षेत्र/विदेश से आवेदन पोस्ट कर रहे उम्मीदवारों को, डाक द्वारा आवेदन जमा करने के लिए एक सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया जाएगा.

कालम 14: शुल्क

यदि आपने अपेक्षित शुल्क अदा किया है तो संगत मूल्यवर्ग के सामने के गोले को काला करें; अथवा यदि आपने शुल्क अदा नहीं किया है और अ.जा./अ.ज.जा. के आधार पर शुल्क में छूट लेने का दावा कर रहे हैं, तो 'शुल्क में छूट प्राप्त' के सामने के गोले को काला करें.

कृपया ध्यान दें: शुल्क, कालम 7 में दिए गए अनुदेशों के अनुसार शुल्क केवल केंद्रीय भर्ती शुल्क टिकट के रूप में ही देय है.

कालम 15 : समुदाय

आप जिस समुदाय वर्ग से संबंधित हैं, उसके सामने के उचित गोले को काला करें.

टिप्पणी : वे उम्मीदवार जो न तो अ.जा., अ.ज.जा. के और न ही अ.पि.श्रे. के हैं, उन्हें समुदाय वाले कालम में कोड सामान्य वर्ग के सामने दिए वृत्त को काला करना चाहिए उसे कदापि खाली नहीं छोड़ना चाहिए.

कालम 16 : अल्पसंख्यक संबंधी स्थिति

यदि आप किसी भी विनिर्दिष्ट अल्पसंख्यकों (मुस्लिम/ईसाई/सिख/बौद्ध/पारसी) के हैं तो अपने मामले में लागू उपयुक्त गोले को काला करें.

कालम 17 : शारीरिक रूप से विकलांग

चूंकि शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवार राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा नौसेना अकादमी परीक्षा के लिए पात्र नहीं हैं, इस परीक्षा के लिए उम्मीदवारों द्वारा यह कॉलम नहीं भरा जाना है. अतः वे इस कॉलम को खाली छोड़ दें.

कालम 18 : पता

अपना पूरा डाक का पता, जिसमें आपका नाम अंग्रेजी के बड़े स्पष्ट तथा पठनीय अक्षरों में हो, इस प्रयोजन के लिए दिए गए बॉक्स में लिखें . दिए गए बॉक्स में पिन कोड भी लिखें . केवल **काले बॉल प्वाइंट पेन** से लिखें. बॉक्स के बाहर न लिखें.

कालम 19 : फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर

अपना हाल ही का 3.5 से.मी. x 4.5 से.मी. आकार का फोटोग्राफ, जिस पर आपका नाम एवं जन्म तिथि मुद्रित हो, को निर्धारित स्थान पर अच्छी प्रकार से चिपकाएं. फोटो को स्टेपल न करें. फोटो पर न तो आपके हस्ताक्षर हो और न ही इसे सत्यापित कराया गया हो. साथ ही अपने हस्ताक्षर काले बॉल पैन से फोटोग्राफ के लिए निर्धारित स्थान के नीचे दिए बॉक्स में करें.

आवेदन प्रपत्र का पृष्ठ 2

कालम 20 से 25 : राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा नौसेना अकादमी परीक्षा के लिए आवेदन कर रहे उम्मीदवारों को इनमें से कोई भी कॉलम भरने की आवश्यकता नहीं है. अतः उन्हें इन कॉलमों को खाली छोड़ देना चाहिए.

कॉलम 26 : राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा नौसेना अकादमी

इस कॉलम को भरने के लिए आयोग की अधिसूचना में दिए गए विस्तृत अनुदेशों को देखें.

(i) वरीयता

उम्मीदवार अपनी वरीयता के क्रम में 1 से 4 सेवाओं के अपने विकल्प को चुनने के लिए उपयुक्त गोलों को काला करें. उदाहरण के लिए, यदि वायु सेना आपकी प्रथम वरीयता है तो वायु सेना के नीचे 1 नं. गोले को काला करें. इसी प्रकार, यदि थल सेना आपकी दूसरी वरीयता है, तो थल सेना के नीचे 2 नं. गोले को काला करें.

(ii) क्या जेसीओ, एनसीओ, अन्य रैंक के अधिकारी के पुत्र हैं/क्या सैनिक स्कूल के विद्यार्थी हैं?

यदि आप थल सेना के जूनियर कमीशन प्राप्त अधिकारी, नॉन-कमीशन प्राप्त अधिकारी और थल सेना अन्य रैंकों तथा भारतीय नौ सेना एवं भारतीय वायु सेना के समकक्ष रैंकों के अधिकारियों के पुत्र हैं या भूतपूर्व जूनियर कमीशन प्राप्त अधिकारी, भूतपूर्व नॉन-कमीशन प्राप्त अधिकारियों या थल सेना के अन्य रैंकों तथा भारतीय नौ सेना एवं भारतीय वायु सेना के समकक्ष रैंकों के भूतपूर्व अधिकारी के पुत्र हैं, या यदि आप मिलिट्री स्कूल (जिसे पहले किंग जार्ज स्कूल कहा जाता था), सैनिक स्कूल सोसाइटी द्वारा संचालित सैनिक स्कूल के विद्यार्थी हैं, तो ''हां'' के सामने दिए गए गोले को काला करें, अन्यथा ''नहीं'' के सामने दिए गए गोले को काला करें.

कॉलम 27 : राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा नौसेना अकादमी परीक्षा के लिए आवेदन कर रहे उम्मीदवारों को यह कॉलम भरने की आवश्यकता नहीं है. अतः वे इस कॉलम को खाली छोड़ दें.

कॉलम 28 : घोषणा

हस्ताक्षर करने से पहले उम्मीदवार घोषणा को सावधानीपूर्वक पढ़ लें.

कॉलम 29 : अपना नाम दिए गए बॉक्स में अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखें.

कॉलम 30 : उम्मीदवार के हस्ताक्षर

दिए गए बॉक्स के भीतर अपने सामान्य हस्ताक्षर काले बॉल पैन से करें. आपके हस्ताक्षर न तो दिए गए बॉक्स के बाहर जाएं और न उसकी सीमा को छुएं. हस्ताक्षर के स्थान पर केवल अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में अपना **नाम न लिखें**. अहस्ताक्षरित आवेदन पत्र तुरंत अस्वीकृत कर दिए जाएंगे.

स्थान तथा आवेदन पत्र में हस्ताक्षर करने की तारीख भी इस उद्देश्य हेतु दिए गये स्थान पर लिखें.

कॉलम 31 : एस टी डी कोड सहित अपना टेलीफोन नं. दिए गए बॉक्स में लिखें.

कॉलम 32 : दिए गए बॉक्स में अपना मोबाइल नं. लिखें .

कॉलम 33 : दिए गए बॉक्स में अपना ई-मेल आई डी लिखें .

आवेदन प्रपत्र भेजने से पहले निम्नलिखित की जांच कर लें

1. आपने केवल निर्दिष्ट किए गए प्रधान डाकघर/डाकघरों से खरीदे गए तीस रुपये मूल्य के संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए सामान्य (कॉमन) आवेदन प्रपत्र (प्रपत्र-ई) का ही प्रयोग किया है.
2. आपने आवेदन प्रपत्र के सभी संगत कालमों के उपयुक्त गोलों को काला करके भर दिया है .
3. आपने आवेदन प्रपत्र के कॉलम 19 में अपना हाल ही का फोटोग्राफ (अहस्ताक्षरित तथा असत्यापित) जिस पर आपका नाम एवं जन्मतिथि मुद्रित है, चिपका दिया है.
4. यदि आपके द्वारा शुल्क अदा किया जाना अपेक्षित है तो क्या आपने अपने आवेदन प्रपत्र के कॉलम 7 में अपेक्षित मूल्य वर्ग का केन्द्रीय भर्ती शुल्क टिकट चिपकाया है तथा इसे जारी करने वाले डाकघर द्वारा रद्द करवाया है.
5. आपने आवेदन प्रपत्र के कॉलम 19 के नीचे दिए गए बॉक्स में और कॉलम 30 में दिए गए स्थान पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं .
6. आपने पावती कार्ड भर दिया है अर्थात अपनी आवेदन-प्रपत्र संख्या लिख दी है और अपना पता साफ-साफ लिख दिया है.
7. आपने पावती कार्ड पर ₹ 6 (केवल छः रुपए) की डाक टिकट चिपका दी है.
8. सूचना पुस्तिका के साथ आपको दिए लिफाफे में केवल एक आवेदन प्रपत्र तथा पावती कार्ड भेजा जा रहा है तथा इसके साथ अन्य कोई संलग्नक नहीं है.
9. आपने आवेदन प्रपत्र एवं पावती कार्ड भेजने वाले लिफाफे पर परीक्षा का नाम अर्थात ''राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा नौ सेना अकादमी परीक्षा (II) 2011'' लिख दिया है.

परिशिष्ट-III

मुख्य डाकघरों/डाकघरों की सूची जहां संघ लोक सेवा आयोग का आवेदन पत्र उपलब्ध है

आंध्रप्रदेश मंडल : हैदराबाद जी.पी.ओ., हैदराबाद जुबली, काचिगुडा स्टेशन, खैराताबाद, सिकन्दराबाद, त्रिमूलगेरी, आदिलाबाद, अनन्तपुर, अरूंडेलपेट (गुंटूर), चित्तूर, कुड्डापा, एलूरू, काकीनाडा, करीमनगर, खम्माम, कुरनूल, मछलीपटनम, महबूबनगर, मेढक, नालगोंडा, नेल्लोर, निजामाबाद, ओंगोल, श्रीकाकुलम, विजियानगरम, विजयवाडा, विकाराबाद, विशाखापटनम, वारांगल.

असम मंडल : गुवाहाटी, बरपेटा, धुबरी, डिब्रुगढ़, डिफू, गोलाघाट, हैलाकांडी, जोरहाट, करीमगंज, कोकराझार, मंगलदोई, नगांव, नलबारी, उत्तर लखीमपुर, शिवसागर, सिलचर, तेजपुर, तिनसुकिया.

बिहार मंडल : पटना जी.पी.ओ., बॉकीपुर, आरा, औरंगाबाद, बी. देवघर, बोकारो स्टील सिटी, बांका, बट्टियाँ, बेगुसराय, भागलपुर, बिहार शरीफ, बक्सर, चाईबासा, छपरा, डालटेनगंज, दरभंगा, धनबाद, दुमका, गया, गिरिडीह, गोपालगंज, गुमला, हाजीपुर, हजारीबाग, जमशेदपुर, कटिहार, मधुबनी, मोतीहारी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नवादा, पुर्णिया, रांची, सहरसा, समस्तीपुर, सासाराम, सीतामढ़ी, सीवान.

दिल्ली मंडल : दिल्ली जी.पी.ओ., नई दिल्ली, इन्द्रप्रस्थ, रमेशनगर, सरोजिनी नगर, लोधी रोड, कृष्णा नगर, अशोक विहार, संसद मार्ग, यू.पी.एस.सी. डाकघर.

गुजरात मंडल : गांधीनगर, अहमदाबाद, अमरेली, आनन्द, भरूच, भावनगर, भुज, दहोड, गोधरा, हिम्मतनगर, जामनगर, जूनागढ़, खेडा, मेहेसाना, नवरंगपुर, नवसारी, पालनपुर, पाटन, पोरबन्दर, राजकोट, रेबड़ी बाजार, सूरत, सुरेन्द्रनगर, वलसाड, वडोदरा.

हरियाणा मंडल : अम्बाला जी.पी.ओ., अम्बाला सिटी, बहादुरगढ, भिवानी, फरीदाबाद, गुडगांव, हिसार, जीन्द, करनाल, कुरूक्षेत्र, नारनौल, पानीपत, रोहतक, सिरसा, सोनीपत.

हिमाचल प्रदेश मंडल : शिमला, बिलासपुर, चम्बा, हमीरपुर, कांगडा, केलांग, कुल्लू, मंडी, नाहन, रिकांग पो, सोलन, ऊना.

जम्मू एवं कश्मीर मंडल : श्रीनगर, अनन्तनाग, बारामूला, जम्मू, कठुआ, लेह, राजौरी, ऊधमपुर, गांधी नगर मुख्यालय, जानीपुर, जम्मू कैंट, सांबा.

कर्नाटक मंडल : बंगलौर जी.पी.ओ., बंगलौर सिटी, बासावनगुडी, हाल 11 स्टेज, जयनगर, आर.टी. नगर, बगलकोट, रायचूर, राजाजीनगर, बेलगांव, बेल्लारी, बिदर, बीजापुर, चिदाम्बरम्, चिकमगलूर, चित्रदुर्गा, दावेनगेर, धारवाड़, गडग, गुलबर्गा, हासन, हावेरी, हुबली, कारवार, कोलार, मदीकेरे, मानड्या, मंगलौर, मनीपाल, मैसूर, नानजागुड, शिमोगा, सिरसी, तुमकुर, उडूपी.

केरल मंडल : त्रिवेन्द्रम, अल्लीप्पे (अलाप्पुझा), कालीकट, कन्नानोर, एर्नाकुलम, कालपेट्टा, कासरगौड, कट्टप्पना, कोट्टायम, मलप्पुरम, पालघाट, पाथनमथीट्टा, क्विलोन, त्रिचूर, कावारत्ती **(लक्षद्वीप)**.

मध्य प्रदेश मंडल : भोपाल जी.पी.ओ., बिलासपुर, अम्बिकापुर, बालाघाट, बैतूल, भिन्ड, छतरपुर, छिन्दवारा, दामोह, देवास, धाड़, दुर्ग, गुना, होशंगाबाद, इन्दौर, जबलपुर, जगदलपुर, झाबुआ, खण्डवा, खारगोन, लश्कर, मंडला, मंडसौर, मुरैना, नरसिंहपुर, नीमच, रायगढ़, रायपुर, रायसेन, राजगढ़ (बिओरा), राजनंदगांव, रतलाम, रीवा, सागर छावनी, सतना, सिहोर, सिओनी, शहडोल, शाजापुर, शिवपुरी, सिधी, टीकमगढ़, उज्जैन, विदिशा.

महाराष्ट्र मंडल : मुम्बई जी.पी.ओ., मुम्बई मध्य, अंधेरी, बोरीवली, चेम्बूर, चिनेहबन्दर, दादर, गिरगांव, कालबादेवी, माहीम, मान्डवी, अहमदनगर, अकोला, अलीबाग, अमरावती, औरंगाबाद, बीड, भन्डारा, बुलधाना, चन्द्रपुर, धूले, जलगांव, जालना, कराड, कोल्हापुर, लातूर, नागपुर जी.पी.ओ., नानदेड, नासिक, उस्मानाबाद, परभनी, पुणे, रत्नागिरी, सांगली, सतारा, सावंतवाडी, सोलापुर, थाणे, वर्धा, यवतमाल, मरगांव **(गोवा)**, पणजी **(गोवा)**.

उत्तर-पूर्व मंडल : अगरतला, ऐजल, धर्मनगर, इम्फाल, ईटानगर, कोहिमा, राधाकिशोरपुर, शिलांग, तुरा.

उड़ीसा मंडल : भुवनेश्वर जी.पी.ओ., अंगुल, बोलंगीर, बालासोर, बारगढ़, बारीपदा, बरहामपुर, भद्रक, भवानीपटना, कटक जी.पी.ओ., धेंकानाल, जगतसिंहपुर, जाजपुर, जेयपुर (के), झारसुगुडा, केंद्रपारा, केंयोंझारगढ़, कोरापुट, नयागढ़, परलाखेमुंडी, फूलबनी, पुरी, रायगाडा, सम्बलपुर, सुन्दरगढ़.

पंजाब मंडल : अमृतसर, भटिन्डा, फरीदकोट, फिरोजपुर, गुरदासपुर, होशियारपुर, जलन्धर सिटी, कपूरथला, लुधियाना, मोगा, पटियाला, रोपड़, संगरूर, **चन्डीगढ़**.

राजस्थान मंडल : जयपुर जी.पी.ओ., जवाहर नगर, शास्त्रीनगर, अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारन, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चुरू, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, हिन्दौन, जैसलमेर, जालोर, झालावाड़, झुंझुनू, जोधपुर, कन्कोली, कोटा, नागौर, पाली मारवाड़, सवाईमाधोपुर, शास्त्री मंडल उदयपुर, सीकर, सिरोही, श्रीगंगानगर, टौंक.

तमिलनाडु मंडल : चेन्नई जी.पी.ओ., अन्ना रोड, संत थॉमस माउन्ट, टी. नगर, बोडिनायाकनूर, चेन्नालपट्टू, चिदाम्बरम्, कोयमबटूर, कुड्डालोर, धर्मापुरी, डिंडीगुल, इरोड, कांचीपुरम, कारूर, मदुरै, नागपट्टीनम, नागरकोईल, नामाक्कल, पुडुकोट्टाई, रामनाथपुरम, सालेम, शिवगंगई, ताम्बरम, थन्जावूर, थिरूवन्नामलाई, तिरूचिरापल्ली, तिरूनेलवेली, तिरूवल्लूर, तिरूवायूर, तुराईयूर, तूतीकोरीन, उधागमंडलम्, वेल्लोर, विल्लुपुरम, विरूधुनगर, **पुडुचेरी**.

उत्तर प्रदेश मंडल : लखनऊ, लखनऊ चौक, आगरा, अकबरपुर, अलीगढ़, इलाहाबाद, इलाहाबाद कचहरी, अलमोड़ा, औरैया, आजमगढ़, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बंसी, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, बिजनौर, बुदौन, बुलन्दशहर, देहरादून, देवरिया, धामपुर, एटा, इटावा, फैजाबाद, फतेहगढ़, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोन्डा, गोपेश्वर, गोरखपुर, हलद्वानी, हमीरपुर, हरदोई, जौनपुर, झांसी, कानपुर, खेरी, ललितपुर, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नैनीताल, ओराई, पौरी, पडरौना, पीलीभीत, पिथौरागढ़, प्रतापगढ़, राय बरेली, रामपुर, रूड़की, सहारनपुर, शाहजहांपुर, सीतापुर, सुल्तानपुर, टिहरी, उन्नाव, वाराणसी.

पश्चिम बंगाल मंडल : कोलकाता जी.पी.ओ., अलीपुर, बड़ाबाजार, बेलियाघाट, बेलघरिया, कासीपुर, पार्क स्ट्रीट, टालीगंज, बालूरघाट, बांकुड़ा, बारासत, बहरामपुर, वर्धमान, चिन्सुरा, कूच बिहार, दार्जिलिंग, हावड़ा, जलपाईगुड़ी, कृष्णनगर, मालदा, मिदनापुर, पुरूलिया, सूरी, सिलिगुड़ी, पोर्ट ब्लेयर **(अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह)**, गंगटोक **(सिक्किम)**.

1. सैंट्रल बेस डाकघर (सी.बी.पी.ओ) 56 ए.पी.ओ.
2. सी.बी.पी.ओ. (99 ए.पी.ओ.) द्वारा चुनिंदा फील्ड डाकघर

परिशिष्ट-IV

वस्तुपरक परीक्षणों हेतु उम्मीदवार के लिए विशेष अनुदेश

1. परीक्षा हाल में निम्नलिखित वस्तुएं लाने की अनुमति होगी

क्लिप बोर्ड या हार्ड बोर्ड (जिस पर कुछ न लिखा हो) उत्तर पत्रक पर प्रत्युत्तर को अंकित करने के लिए एक अच्छी किस्म की एच.बी.पेंसिल, रबड़, पेंसिल शार्पनर तथा नीली या काली स्याही वाला एक पेन उत्तर पत्रक और कच्चे कार्य हेतु कार्य पत्रक निरीक्षक द्वारा दिए जाएंगे.

2. परीक्षा हाल में निम्नलिखित वस्तुएं लाने की अनुमति नहीं होगी

ऊपर दर्शाई गई वस्तुओं के अलावा अन्य कोई वस्तु जैसे पुस्तकें, नोट्स, खुले कागज, इलैक्ट्रानिक या अन्य किसी प्रकार के केलकुलेटर, गणितीय तथा आरेक्ष उपकरणों, लघुगुणक सारणी, मानचित्रों के स्टेंसिल, स्लाइड रूल पहले सत्र (सत्रों) से संबंधित परीक्षण पुस्तिका और कच्चे कार्यपत्रक, परीक्षा हाल में न लाएं.

मोबाइल फोन, पेजर एवं अन्य संचार यंत्र उस परिसर में जहां परीक्षा आयोजित की जा रही है, लाना मना है. इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर अनुशासनिक कार्यवाही के साथ-साथ भविष्य में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं से प्रतिबंधित किया जा सकता है.

उम्मीदवारों को उनके स्वयं के हित में सलाह दी जाती है कि वे मोबाइल फोन/पेजर सहित कोई भी वर्जित वस्तु परीक्षा परिसर में न लाएं क्योंकि इनकी अभिरक्षा के लिए व्यवस्था की गारंटी नहीं ली जा सकती.

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा हॉल में कोई भी बहुमूल्य वस्तु न लाएं क्योंकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती. इस संबंध में किसी भी नुकसान के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा.

3. गलत उत्तरों के लिए दंड

वस्तुनिष्ठ प्रश्न-पत्रों में उम्मीदवार द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए दंड (नेगेटिव मार्किंग) दिया जाएगा

(i) प्रत्येक प्रश्न के लिए चार वैकल्पिक उत्तर हैं. उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किए गए अंकों का 1/3 (0.33) दंड के रूप में काटा जाएगा.

(ii) यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे **गलत उत्तर** माना जाएगा, यद्यपि दिए गए उत्तरों में से एक उत्तर सही होता है, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपर्युक्तानुसार ही उसी तरह का दंड दिया जाएगा.

(iii) यदि उम्मीदवार द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है अर्थात् उम्मीदवार द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए **कोई दंड नहीं** दिया जाएगा.

4. अनुचित तरीकों की सख्ती से मनाही

कोई भी उम्मीदवार किसी भी अन्य उम्मीदवार के पेपरों से न तो नकल करेगा न ही अपने पेपरों से नकल करवाएगा, न ही किसी अन्य तरह की अनियमित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा.

5. परीक्षा भवन में आचरण

कोई भी परीक्षार्थी किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न करें तथा परीक्षा हाल में अव्यवस्था न फैलाएं तथा परीक्षा के संचालन हेतु आयोग द्वारा तैनात स्टाफ को परेशान न करें. ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए कठोर दंड दिया जाएगा.

6. उत्तर पत्रक विवरण

(i) उत्तर पत्रक के ऊपरी सिरे के निर्धारित स्थान पर आप अपना केंद्र और विषय, परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला (कोष्ठकों में) विषय कोड और अनुक्रमांक स्याही अथवा बाल प्वाइंट पेन से लिखें. उत्तर पत्रक में इस प्रयोजन के लिए निर्धारित वृत्तों में अपनी परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला (ए.बी.सी.डी., यथास्थिति), विषय कोड तथा अनुक्रमांक (पेंसिल से) कूटबद्ध करें. उपर्युक्त विवरण लिखने तथा उपर्युक्त विवरण कूटबद्ध करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत अनुबंध में दिए गए हैं. यदि परीक्षण पुस्तिका पर श्रृंखला मुद्रित न हुई हो अथवा उत्तर पत्रक बिना संख्या के हों तो कृपया निरीक्षक को तुरंत रिपोर्ट करें और परीक्षण पुस्तिका/उत्तर पत्रक को बदल लें.

(ii) अनुक्रमांक लिखते समय उम्मीदवार और निरीक्षक को सभी शुद्धियों और परिवर्तनों पर हस्ताक्षर करने चाहिए और पर्यवेक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए जाने चाहिए.

(iii) परीक्षा आरंभ होने के तत्काल बाद कृपया जांच कर लें कि आपको जो परीक्षण पुस्तिका दी गई है उसमें कोई पृष्ठ या मद आदि अमुद्रित या फटा हुआ अथवा गायब तो नहीं है. यदि ऐसा है तो उसे उसी श्रृंखला तथा विषय की पूर्ण परीक्षण पुस्तिका से बदल लेना चाहिए.

7. उत्तर पत्रक/परीक्षण पुस्तिका/कच्चे कार्य पत्रक में मांगी गई विशिष्ट मदों की सूचना के अलावा कहीं पर भी अपना नाम या अन्य कुछ नहीं लिखें

8. उत्तर पत्रकों को न मोड़ें या न विकृत करें अथवा न बर्बाद करें अथवा उसमें न ही कोई अवांछित/असंगत निशान लगाएं. उत्तर पत्रक के पीछे की ओर कुछ भी न लिखें.

9. चूंकि उत्तर पत्रकों का मूल्यांकन कंप्यूटरीकृत मशीनों पर होगा. अतः उम्मीदावरों को उत्तर पत्रकों के रख-रखाव तथा उन्हें भरने में अति सावधानी बरतनी चाहिए. **उन्हें वृत्तों को काला करने के लिए केवल एचबी पेंसिल का उपयोग करना चाहिए. बॉक्सों में लिखने के लिए उन्हें काले या नीले कलम का इस्तेमाल करना चाहिए. चूंकि उम्मीदवारों द्वारा वृत्तों को काला करके भरी गई प्रविष्टियों को कम्प्यूटरीकृत मशीनों द्वारा उत्तर पत्रकों का मूल्यांकन करते समय ध्यान में रखा जाएगा, अतः उन्हें इन प्रविष्टियों को बड़ी सावधानी से तथा सही-सही भरना चाहिए.**

10. उत्तर अंकित करने का तरीका

''वस्तुपरक'' परीक्षा में आपको उत्तर लिखने नहीं होंगे. प्रत्येक प्रश्न (जिन्हें आगे प्रश्नांश कहा जाएगा) के लिए कई सुझाए गए उत्तर (जिन्हें आगे प्रत्युत्तर कहा जाएगा) दिए जाते हैं उनमें से प्रत्येक प्रश्नांश के लिए आपको एक प्रत्युत्तर चुनना है.

प्रश्न पत्र परीक्षण पुस्तिका के रूप में होगा. इस पुस्तिका में क्रम संख्या 1, 2, 3... आदि के क्रम में प्रश्नांश के नीचे (ए), (बी), (सी) और (डी) के रूप मे प्रत्युत्तर अंकित होंगे. आपका काम एक सही प्रत्युत्तर को चुनना है. यदि आपको एक से अधिक प्रत्युत्तर सही लगें तो उनमें से आपको सर्वोत्तम प्रत्युत्तर का चुनाव करना होगा. किसी भी स्थिति में प्रत्येक प्रश्नांश के लिए आपको एक ही प्रत्युत्तर का चुनाव करना होगा यदि आप एक से अधिक प्रत्युत्तर चुन लेते हैं तो आपका प्रत्युत्तर गलत माना जाएगा.

उत्तर पत्रक में क्रम संख्याएं 1 से 160 छापे गए हैं. प्रत्येक प्रश्नांश (संख्या) के सामने (ए), (बी), (सी) और (डी) चिन्ह वाले वृत छपे होते हैं. जब आप परीक्षण पुस्तिका के प्रत्येक प्रश्नांश को पढ़ लें और यह निर्णय करने के बाद कि दिए गए प्रत्युत्तरों में से कौन सा एक प्रत्युत्तर सही या सर्वोत्तम है, **आपको अपना प्रत्युत्तर उस वृत्त को एचबी पेंसिल से पूरी तरह से काला बनाकर अंकित कर देना है. उत्तर पत्रक पर वृत्त को काला करने के लिए स्याही का प्रयोग न करें.**

उदाहरण के तौर पर यदि प्रश्नांश 1 का सही प्रत्युत्तर (बी) है तो अक्षर (बी) वाले वृत्त को निम्नानुसार पेंसिल से पूरी तरह काला कर देना चाहिए जैसा कि नीचे दिखाया गया है.

उदाहरण (a) ● (c) (d)

यदि निशान गलत लग गया है तो उसे अच्छी तरह से मिटाकर फिर से सही उत्तर पर निशान लगाएं.

11. उपस्थिति सूची पर हस्ताक्षर :

आपको दिए गए उत्तर पत्रक और परीक्षण पुस्तिका की क्रम संख्या और परीक्षण पुस्तिका की श्रृंखला उपस्थिति सूची में लिखनी आवश्यक है और अपने नाम के सामने उपयुक्त कालम में हस्ताक्षर करने हैं. उपयुक्त विवरणों में किसी भी परिवर्तन या संशोधन को उम्मीदवार द्वारा अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित किया जाना चाहिए.

12. कृपया परीक्षण पुस्तिका के आवरण पर दिए गए अनुदेशों को पढ़ें और उनका पालन करें. यदि कोई उम्मीदवार अव्यवस्थित अथवा अनुचित आचरण में शामिल होता है तो वह अनुशासनिक कार्रवाई और/या आयोग द्वारा उचित समझे जाने वाले दंड का भागी बन सकता है.

अनुबंध

परीक्षा भवन में वस्तुपरक परीक्षणों के उत्तर पत्रक कैसे भरें

कृपया इन अनुदेशों का अत्यंत सावधानीपूर्वक पालन करें. आप यह नोट कर लें कि चूंकि उत्तर-पत्रक का अंकन मशीन द्वारा किया जाएगा, इन अनुदेशों का किसी भी प्रकार का उल्लंघन आपके प्राप्तांकों को कम कर सकता है जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे.

उत्तर पत्रक पर अपना प्रत्युत्तर अंकित करने से पहले आपको इसमें कई तरह के विवरण लिखने होंगे.

उम्मीदवार को उत्तर-पत्रक प्राप्त होते ही यह जांच कर लेनी चाहिए कि इसमें नीचे संख्या दी गई है. यदि इसमें संख्या न दी गई हो तो उम्मीदवार को उस पत्रक को किसी संख्या वाले पत्रक के साथ तत्काल बदल लेना चाहिए.

आप उत्तर-पत्रक में देखेंगे कि आपको सबसे ऊपर की पंक्ति में इस प्रकार लिखना होगा.

स्याही से लिखें

Centre	Subject	S. Code	Roll Number
केन्द्र	विषय	विषय कोड	अनुक्रमांक

मान लो यदि आप गणित के प्रश्न-पत्र* के वास्ते परीक्षा में दिल्ली केन्द्र पर उपस्थित हो रहे हैं और आपका अनुक्रमांक 081276 है तथा आपकी परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला 'ए' है तो आपको स्याही या बाल प्वाइंट पेन से इस प्रकार भरना चाहिए.*

Centre	Subject	S. Code	Roll Number
केन्द्र	विषय	विषय कोड 0 1	अनुक्रमांक 0 8 1 2 7 6
दिल्ली	गणित (ए)		

आप केन्द्र का नाम अंग्रेजी या हिन्दी में स्याही या बाल प्वाइंट पेन से लिखें.

परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला कोड पुस्तिका के सबसे ऊपर दायें हाथ के कोने पर ए बी सी अथवा डी के अनुक्रमांक के अनुसार निर्दिष्ट हैं.

आप स्याही से अपना ठीक वही अनुक्रमांक लिखें जो आपके प्रवेश प्रमाण पत्र में है. यदि अनुक्रमांक में कहीं शून्य हो तो उसे भी लिखना न भूलें.

आपको अगली कार्रवाई यह करनी है कि आप नोटिस में से समुचित विषय कोड ढूंढे. जब आप परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला, विषय कोड तथा अनुक्रमांक को इस प्रयोजन के लिए निर्धारित वृत्तों में कूटबद्ध करने का कार्य एच.बी. पेंसिल से करें. केन्द्र का नाम कूटबद्ध करने की आवश्यकता नहीं है. परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला को लिखने और कूटबद्ध करने का कार्य परीक्षण पुस्तिका प्राप्त होने तथा उसमें से पुस्तिका श्रृंखला की पुष्टि करने के पश्चात ही करना चाहिए.

'ए' परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला के गणित विषय प्रश्न पत्र के लिए आपको विषय कोड सं. 01 लिखनी है. इसे इस प्रकार लिखें.

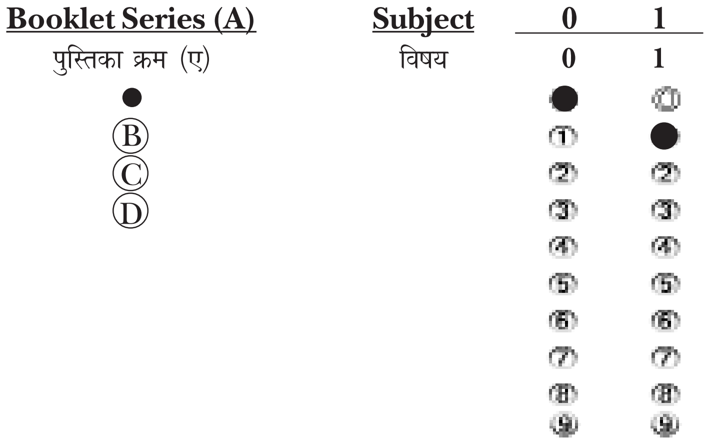

बस इतना भर करना है कि परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला के नीचे दिए गए अंकित वृत्त 'ए' को पूरी तरह से काला कर दें और विषय कोड के नीचे '0' के लिए (पहले उर्ध्वाधर कालम में) और 1 के लिए (दूसरे उर्ध्वाधर कालम में) वृत्तों को पूरी तरह काला कर दें. आप वृत्तों को पूरी तरह उसी प्रकार काला करें जिस तरह आप उत्तर पत्रक में विभिन्न प्रश्नांशों के प्रत्युत्तर अंकित करते समय करेंगे. तब आप अनुक्रमांक 081276 को कूटबद्ध करें. इसे उसी के अनुरूप इस प्रकार करेंगे.

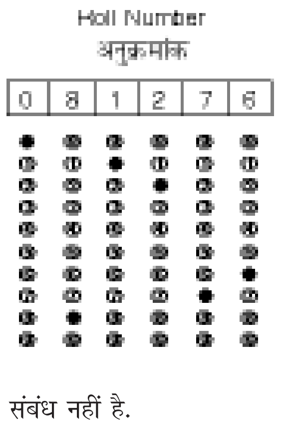

महत्वपूर्ण : कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि आपने अपना विषय, परीक्षण पुस्तिका क्रम तथा अनुक्रमांक ठीक से कूटबद्ध किया है. यदि आपने कोई गलती कर दी है तो उसे पूरी तरह मिटाकर पुनः ठीक से भरें.

*यह एक उदाहरण मात्र है तथा आपकी संबंधित परीक्षा से इसका कोई संबंध नहीं है.

परिशिष्ट-V

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा नौ सेना अकादमी में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों को शारीरिक मानक के मार्गदर्शन संकेत

टिप्पणी : उम्मीदवारों को निर्धारित शारीरिक मानकों के अनुसार शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है. इस संबंध में मार्गदर्शक संकेत नीचे दिये गये हैं बहुत से अर्हताप्राप्त उम्मीदवार बाद में स्वास्थ्य के आधार पर अस्वीकृत कर दिये जाते हैं, अतः उम्मीदवारों को उनके अपने हित में सलाह दी जाती है कि वे अंतिम अवस्था पर निराशा से बचने के लिए आवेदन प्रपत्र भेजने से पहले अपने स्वास्थ्य की जांच करा लें.

उम्मीदवारों को परामर्श दिया जाता है कि सेवा चयन बोर्ड से अनुशंसा के बाद सैनिक अस्पताल में चिकित्सा परीक्षा में शीघ्र निर्णय के लिए छोटी मोटी कमियों/बीमारियों को दूर कर लें.

कुछ ऐसे दोष/बीमारियां नीचे दर्शाई गई हैं.

(क) कान का मैल

(ख) डेवयेटिड नेजल सेप्टम

(ग) हाइड्रोसिल/फीमोसिस

(घ) अधिक भार/कम भार

(ङ) छाती कम होना

(च) बवासीर

(छ) गाहनी कामेस्टिया

(ज) टांसिल

(झ) वेरिकोसिल

सशस्त्र सेना में सभी प्रकार के कमीशन के लिए प्रवेश पाने वाले असैनिक उम्मीदवार चयन बोर्ड द्वारा अपनी जांच के दौरान किसी क्षति या संक्रमित रोग होने पर सेना के स्रोतों से सरकारी खर्च पर बाह्य-रोगी चिकित्सा के हकदार होंगेवे अस्पताल के अधिकारी-वार्ड में सरकारी खर्च पर अंतरोगी चिकित्सा के भी पात्र होंगे, बशर्ते कि

(क) क्षति परीक्षण के दौरान हुई हो, अथवा

(ख) चयन बोर्ड द्वारा परीक्षण के दौरान रोग का संक्रमण हुआ हो और स्थानीय सिविल अस्पताल में उपयुक्त जगह नहीं हो या रोगी को सिविल अस्पताल में ले जाना अव्यवहारित हो; अथवा

(ग) चिकित्सा बोर्ड उम्मीदवार को प्रेक्षण हेतु दाखिल करना अपेक्षित समझे.

नोट : वे विशेष सेवा के हकदार नहीं हैं.

सेवा चयन बोर्ड द्वारा अनुशंसित उम्मीदवार को सेवा के चिकित्सा अधिकारियों के बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य परीक्षा करानी होगी. अकादमी में केवल उन्हीं उम्मीदावरों को प्रवेश दिया जाएगा जो चिकित्सा बोर्ड द्वारा स्वस्थ घोषित कर दिये जाते हैं चिकित्सा बोर्ड का कार्यवृत्त गोपनीय होता है. जिसे किसी को नहीं दिखाया जाएगा. किंतु अयोग्य/अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित उम्मीदवारों को उनके परिणाम की जानकारी चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा दे दी जाएगी तथा उम्मीदवारों को चिकित्सा बोर्ड से अपील करने का अनुरोध करने की प्रक्रिया भी बता दी जाएगी. अपील चिकित्सा बोर्ड के दौरान अयोग्य घोषित उम्मीदवारों को समीक्षा चिकित्सा बोर्ड के प्रावधान के बारे में सूचित किया जायेगा.

(क) उम्मीदवारों का शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए तथा उन्हें ऐसी बीमारी/अशक्तता से मुक्त होना चाहिए जिससे उनके कुशलतापूर्वक सैन्य कार्य करने में बाधा पड़ सकती हो.

(ख) उनमें कमजोर शारीरिक गठन/दैहिक दोष या वजन की कमी नहीं होनी चाहिए. उम्मीदवार ज्यादा वजन और मोटा नहीं होना चाहिए.

(ग) कद कम से कम 157.5 सेमी. (वायु सेना के लिए 162.5 सेमी) का हो. गोरखा और भारत के उत्तर पूर्व के पर्वतीय प्रदेशों, गढ़वाल तथा कुमाऊं के व्यक्तियों का 5 सेंमी. कम कद स्वीकार्य होगा. लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के मामले में न्यूनतम कद में 2 सेंमी. की कमी भी स्वीकार्य की जा सकती है. कद और वजन मानक नीचे दिए जाते हैं.

कद और वजन के मानक-थल सेना/वायु सेना के लिए

सारणी-I

कद सेंटीमीटरों में (बिना जूता)	वजन किलोग्राम में 16-17 वर्ष	17-18 वर्ष	18-19 वर्ष
152	42.5	44.0	45.0
155	43.5	45.3	47.0
157	45.0	47.0	48.0
160	46.5	48.0	49.0
162	48.0	50.0	51.0
165	50.0	52.0	53.0
167	51.0	53.0	54.0
170	52.5	55.0	56.0
173	54.5	57.0	58.0
175	56.0	59.0	60.0
178	58.0	61.0	62.0
180	60.0	63.0	64.5
183	62.5	65.0	66.5

कद और वजन के मानक-नौसेना के लिए

सारणी-II

कद सेंटीमीटरों में (बिना जूता)	वजन किलोग्राम में 16 वर्ष	18 वर्ष	20 वर्ष
152	44	45	46
155	45	46	47
157	46	47	49
160	47	48	50
162	48	50	52
165	50	52	53
168	52	53	55
170	53	55	57
173	55	57	59
175	57	59	61
178	59	61	62
180	61	63	64
183	63	65	67

उपर्युक्त सारणी-I में दिए गए औसत वजन का ± 10 प्रतिशत (नौ सेना के लिए ± 6 किलोग्राम) कम ज्यादा वजन सामान्य सीमा के अंदर माना जाएगा. किन्तु भारी हड्डियों वाले लंबे चौड़े व्यक्तियों तथा पतले पर अन्यथा स्वस्थ व्यक्तियों के मामले में गुणवत्ता के आधार पर इसमें कुछ छूट दी जा सकती है.

टिप्पणी-1 : ऐसे मामलों में जहां चिकित्सा बोर्ड यह प्रमाणित कर देता है कि उम्मीदवार प्रशिक्षण पूरा होने तक बढ़कर अपेक्षित मानक तक हो सकता है कद में 2.5 सेंमी की (नौ सेना के लिए 5 सेमी) छूट दी जा सकती है.

टिप्पणी-2 : वायु सेना में पायलट के रूप में विशेष अपेक्षाओं की पूर्ति हेतु टांग की लंबाई, जांघ की लंबाई तथा बैठे हुए लंबाई की स्वीकार्य माप निम्न प्रकार होगा.

	न्यूनतम	अधिकतम
टांग की लंबाई	99.00 सेंमी.	120.00 सेंमी.
जांघ की लंबाई	–	64.00 सेमी
बैठे हुए लंबाई	81.50 सेमी	96.00 सेमी

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के उम्मीदवार की कम उम्र के कारण 5.0 सेमी तक ऊंचाई में 2.65 सेमी (न्यूनतम) एक टांग की लंबाई में और 1.0 सेमी (न्यूनतम) तक बैठे हुए उंचाई में गुंजाइश दी जा सकती है. बशर्तें कि चिकित्सा बोर्ड ने प्रमाणित कर दिया हो कि उम्मीदवार में बढ़ोत्तरी हो सकती है और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रशिक्षण पूरा होने तक यह अपेक्षित स्तर प्राप्त कर सकता है.

(घ) छाती भली प्रकार विकसित होनी चाहिए, पूर्ण रूप से फुलाया हुआ सीना 81 सें.मी. से कम नहीं होना चाहिए. पूरा सांस लेने के बाद इसका न्यूनतम फुलाव 5 सेंमी होना चाहिए. माप इस तरह फीता लगाकर की जाएगी कि इसका निचला किनारा सामने चूचक से लगा रहे और फीते का उपरी भाग पीछे स्कंध फलक (शोल्डर ब्लेड) के निम्न कोण (लोअर एंगिल) को छूते रहना चाहिए. छाती का एक्स-रे करना जरूरी है. इसे यह जानने के लिए किया जाएगा कि छाती का कोई रोग तो नहीं है.

(ङ) हड्डियों या जोड़ों में कोई अप विकास या उनकी कार्यप्रणाली में कोई विकृति नहीं होनी चाहिए.

मेरुदण्ड की स्थितियां

(च) मेरुदण्ड अथवा त्रिक-श्रेणिफलक - संधि संबंधी रोग या अभिघात का पूर्व चिकित्सीय इतिहास, अभिदृश्यक लक्षणों सहित या उनके बिना, जो उम्मीदवार को शारीरिक रूप से सक्रिय जीवन सफलतापूर्वक जीने से रोक रहे हों, के मामले में भारतीय वायु सेना में कमीशन नहीं दिया जाएगा. मेरुदण्ड अस्थिभंग/अन्तरा/कशेरूका चक्रिश भ्रंश का इतिहास तथा इन स्थितियों के लिए किए गए शल्य चिकित्साकीय उपचार स्वीकार्य नहीं होंगे. चिकित्सा परीक्षा के दौरान निम्नलिखित स्थितियां पाए जाने पर उम्मीदवार वायु सेना सेवा के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे.

(i) मेरुदण्ड का कणिकालगुल्मीय रोग

(ii) संधिशोथ संरूप/कशेरूकासन्धिग्रह
- रुमेटॉइड सन्धिशोध तथा संबद्ध विकार
- बद्ध कशेरुकासन्धिशोथ
- अस्थिसंधिशोथ, कशेरूकासंधिग्रह तथा अपविकसित संधि रोग
- संधिहीन आभवात (यथा घूर्ण कफ की विक्षति, टेनिस कर्पूर, पुनरावर्ती कटिवेदना आदि)
- एसएलई, त्वक्पेशी शोथ, बहुपेशीशोथ पर्विका वाहिकाशोथ सहित विविध विकार

(iii) कशेरूकाग्रसर्पण/कशेरूकासन्धिग्रह

(iv) कशेरूकाओं का सम्पीड़न अस्थिभंग

(v) शेयूरमैन रोग (कौमर कुब्जता)

(vi) ग्रैव मेरुदण्ड की निर्बन्धित गतियों से संबद्ध होने पर ग्रैव अग्रकुब्जता की क्षति.

(vii) एक पार्श्वीय/द्विपावर्श्वीय ग्रैव पर्शुका सहित प्रभाण्य तंत्रिका वैज्ञानिक या परिसंचरण कमी

(viii) कॉब पद्धति द्वारा मापे जाने पर 15 डिग्री से अधिक पार्श्वकुब्जता

(ix) मज्जा केन्द्रक हिर्नयेशन

(x) एक से अधिक स्तर पर श्मोर्ल पर्व की मौजूदगी

(xi) शीर्षधर पश्चकपाल और शीर्षधर अक्षक विषमताएं

(xii) ग्रैव, अभिपृष्ठ या कटि मेरुदण्ड में किसी भी स्तर पर अर्ध कशेरूका तथा/अथवा अपूर्ण रोध (संयुक्त) तथा ग्रैव, अभिपृष्ठ या कटि मेरूदण्ड में एक से अधिक स्तर पर पूर्ण कशेरूका रोध.

(xiii) सभी स्तरों पर एकपार्श्वीय त्रिकास्थि संयोजन अथवा कटि कशेरूका भवन (पूर्ण या अपूर्ण) तथा द्विपार्श्वीय अपूर्ण त्रिकास्थि संयोजन अथवा कटि कशेरूका भवन.

(xiv) विशेषज्ञ द्वारा विचार की गई कोई अन्य असामान्यता.

(छ) हल्का काईफोसिस या लोडोसिस जहां विरूपता मुश्किल से दिखाई देती है जहां दर्द की या हरकत में रूकावट की शिकायत नहीं है, स्वीकृति में बाधा नहीं बनेगा.

(ज) दिखाई पड़ने वाले स्कोलिओसिस के या अन्य किसी तरह की असामान्यता या मेरुदण्ड की विरूपता का जो मामूली से अधिक हो-संदेह होने पर मेरुदण्ड का उपयुक्त एक्स-रे लिया जाना है और परीक्षार्थी को विशेषज्ञ की सलाह हेतु प्रस्तुत करना है.

(झ) एक्स-रे परीक्षा के बाद पाई गई-निम्नलिखित अवस्थाएं थल सेना में प्रवेश हेतु अयोग्यता का कारण मानी जाएगी.

1. मेरुण्ड की ग्रैन्यूलोमेंट्स बीमारी
2. आर्थराइटिडीस/स्पोन्डिलोसिस
3. कावपद्धति से यथामापित स्कोलियोसिस जो 15 डिग्री से अधिक हो (थल सेना के लिए 10 डिग्री)
4. मामूली से ज्यादा काइफोसिस/लोडोंसिस
5. स्पेण्डिलोसथेसिस/स्पेण्डिलिससिस
6. एरनिएटिड न्यूक्लिअस, पलपोसस
7. कशेरूक का संपीडन विभंग
8. श्वैरमेन की बीमारी
9. प्रदर्शनीय तंत्रकीय या परिसंचारी अभाव के साथ ग्रेव पर्शुका
10. एक से अधिक स्तर पर श्मोले के नोड की उपस्थिति
11. शीर्षघरानुकपाल (अटलांटो-आक्सीपीटल) तथा अटलांटों अक्षीय असंगतियां
12. 'एक पक्षीय अथवा द्विपक्षीय अपूर्ण स्कारलाइजेशन'
13. एस.वी.1 तथा एलवी 5 के इतर स्पइनाबाइफिडा
14. विशेषज्ञ द्वारा मानी गई कोई अन्य अपसामान्यता.

(ञ) उम्मीदवार मानसिक विकृति या दौरे पड़ने का पिछला रोगी नहीं होना चाहिए.

(ट) उम्मीदवार सामान्य रूप से सुन सकें. उम्मीदवार को इस योग्य होना चाहिए कि वह शांत कमरे में प्रत्येक कान से 610 से.मी. की दूरी से जोर की कानाफूसी सुन सकें. कर्ण नासिका की पिछली या अब की बीमारी का कोई प्रमाण न हो. वायु सेना के लिए श्रव्यतामितिक परीक्षण किये जाएंगे. 250 एच.जैड, 4000 एच.जैड के बीच की आवर्तियों में श्रव्यतामितिक कमी+20 डेसिबल से अधिक नहीं हो. वाणी में किसी प्रकार की हकलाहट नहीं होनी चाहिए.

(ठ) हृदय या रक्त वाहिकाओं के संबंध में कोई क्रियात्मक या आंगिक रोग नहीं होना चाहिए. रक्त दाब सामान्य हो.

(ड) जिगर या तिल्ली बढ़ी हुई न हो. उदर के आंतरिक अंग की कोई बीमारी होने पर उम्मीदवार अस्वीकृत कर दिया जाएगा.

(ढ) यदि किसी उम्मीदवार को हर्निया है और उसकी शल्य चिकित्सा न की गई हो तो वह उम्मीदवार अनुपयुक्त होगा. ऐसे मामले में जहां हर्निया की शल्य-क्रिया की गई हो, पाठ्यक्रम आरंभ होने से पहले अंतिम चिकित्सीय परीक्षण के पहले कम से कम छः महीने बीत गये हों.

(ण) हाइड्रोसिल, वेरिकोसिल या पाइल्स का रोग नहीं होना चाहिए.

(त) मूत्र की परीक्षा की जाएगी और यदि इसमें कोई असमानता मिलती है तो इस पर उम्मीदवार अस्वीकृत हो जाएगा.

(थ) अशक्तता लाने या आकृति बिगाड़ने वाले चर्म का ऐसा रोग होने पर उम्मीदवार अस्वीकृत कर दिया जाएगा.

(द) उम्मीदवार को दूर दृष्टि चार्ट को ऐनक लगाकर या ऐनक हटाकर अच्छी आंख में 6/6 तथा खराब आंख में 6/9 की दृष्टि पढ़ने में समर्थ होना चाहिए. मायोपिया 2.5 डी. तथा हायपरमेट्रोपिया 3.5 डी (एस्टिगमेटिज्म सहित) से अधिक नहीं होना चाहिए. यह जानने के लिए कि आंख में कोई रोग तो नहीं है आंख की आंतरिक परीक्षा औपथलमेस्कोप से की जाएगी. उम्मीदवार के दोनों नेत्रों की दृष्टि अच्छी होनी चाहिए. वर्ण दृष्टि का मानक सी.पी. स्थल सेना के लिए सीपी III होगा. उम्मीदवार में लाल व हरे रंगों को पहचानने की क्षमता होनी चाहिए. उम्मीदवारों को इस आश्य का प्रमाणपत्र देना होगा कि उसे या

इसके परिवार के किसी सदस्य को जन्मजात रतौंधी आने का रोग नहीं हुआ है.

जिन उम्मीदवारों ने दृष्टि की तीक्ष्णता में सुधार करने के लिए रेडियल केरेटोटोमी करवाई हो या जिनके पास से इसे करवाने का प्रमाण मिलेगा उन्हें सभी तीनों सेवाओं से स्थाई रूप से बहिष्कृत कर दिया जाएगा. जिन उम्मीदवारों ने वर्तन दोष (रिफरेक्टिव एरर) को ठीक करवाने के लिए लेसिक सर्जरी करवाई हुई है, वे रक्षा सेवाओं के लिए स्वीकार्य नहीं होंगे.

नौसेना उम्मीदवारों की दृष्टि मानक :

बिना चश्मे के असंशोधित	6/9
चश्मे के साथ संशोधित	6/6
निकट दृष्टि की सीमा	- 0.75
दूर दृष्टि की सीमा	+1.5
दूरबीन दृष्टि	111
कलर प्रिसेप्शन की सीमा	1

वायु सेना के लिए दृष्टि मानक

प्रायः ऐनक पहनने वाले उम्मीदवार वायु सेना हेतु पात्र नहीं हैं. न्यूनतम दूरस्थ दृष्टि 6/6 एक आंख में तथा 6/9 दूसरी आंख में, हाइपरमेट्रोपिया के लिए केवल 6/6 तक सही किए जाने योग्य. वर्ण दृष्टि दोष सीपी-I हाइपरमेट्रोपिया : +2.0 डीएसपीएच प्रत्यक्ष निकट दृष्टिता - शून्य

नेत्र अपवर्तनमानपीय निकटदृष्टिता : -0.5 किसी भी अनुमेय याम्योत्तम में

एस्टिग्मेटिज्म : +0.75 डीसीवाई एल

(+ 2.0 के अंदर डी-मैक्स)

मैड्डोक्स रोड परीक्षण

(i) 6 मीटर पर -	एक्सोफोरिया -	6 प्रिज्म डी
	एसोफोरिया -	6 प्रिज्म डी
	हाइपर -	1 प्रिज्म डी
	हाइपो -	1 प्रिज्म डी
(ii) 33 सें.मी. पर-	एक्सोफोरिया -	16 प्रिज्म डी
	एसोफोरिया -	6 प्रिज्म डी
	हाइपर -	1 प्रिज्म डी
	हाइपो -	1 प्रिज्म डी

हस्त - त्रिविमदर्शी - सभी बीएसवी ग्रेड्स

अभिसरण - 10 सें.मी. तक के लिए

दूर तथा निकट के लिए कवर परीक्षण

पार्श्वीय अपसरण/अभिसरण

शीघ्र तथा पूर्व उपलब्धि

सीटू में रेडियल केरेटोटोमी, प्रकाश अपवर्तन केरेटोटोमी/लेजर

अपवर्तन संबंधी दोषों को सही कराने हेतु की गई केरेटोमिल्यूसिस (पीआरके/लेसिक) शल्य चिकित्सा वायुसेना दायित्वों के लिए अनुमत नहीं हैं.

आईओएल रोप सहित या उसके बिना मोतियाबिन्दु की शल्य चिकित्सा कराने वाले उम्मीदवारों को भी अयोग्य घोषित किया जाएगा.

द्विनेत्री दृष्टि - अच्छी द्विनेत्री दृष्टि होनी चाहिए (उत्तम आयाम तथा गहराई सहित संयोजन तथा स्टीरियोप्सिस)

जिन उम्मीदवारों की लेसिक शल्य चिकित्सा हुई है, उन्हें भारतीय वायु सेना की उड़ान शाखा में नियुक्ति हेतु योग्य नहीं माना जाएगा.

(ध) यू.एस.जी. उदर जांच की जाएगी तथा किसी प्रकार की जन्मगत संरचनात्मक असामान्यता या उदर के अंगों का रोग पाए जाने पर सशस्त्र सेना से अस्वीकृत किया जा सकता है.

(न) उम्मीदवार के पर्याप्त संख्या में कुदरती व मजबूत दांत होने चाहिए. कम से कम 14 दांत बिन्दु वाला उम्मीदवार स्वीकार्य है. जब 32 दांत होते हैं तब कुल 22 दांत बिन्दु होते हैं.

उम्मीदवार को तीव्र पायरिया का रोग नहीं होना चाहिए.

(प) वायुसेना के उम्मीदवारों के लिये रूटीन ईसीजी तथा ईईजी सामान्य सीमा में होने जरूरी हैं.

(फ) 'शारीरिक उपयुक्तता' प्रतिशत उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि नीचे दी गई क्रियाओं के दैनिक पालन के द्वारा वे अपना शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखें :

(क) 15 मिनट में 2.5 कि.मी. की तेज दौड़

(ख) उछल कूद

(ग) दण्ड-बैठक (प्रत्येक कम से कम बीस-बीस बार)

(घ) ठोढ़ी को ऊंचाई तक छूना (कम से कम आठ बार)

(ङ) 3 से 4 मीटर रस्सी पर चढ़ना.

परिशिष्ट-VI

सेवा आदि का संक्षिप्त विवरण

1. अकादमी में भर्ती होने से पूर्व माता-पिता या संरक्षक को निम्नलिखित प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे.

(क) इस आश्य का प्रमाणपत्र कि वह यह समझता है कि किसी प्रशिक्षण के दौरान या उसके परिणामस्वरूप यदि कोई चोट लग जाये या उपर निर्दिष्ट किसी कारण या अन्यथा आवश्यक किसी सर्जिकल आपरेशन या संवेदनाहरण दवाओं के परिणामस्वरूप उसमें कोई शारीरिक अशक्तता आ जाने या उसकी मृत्यु होने जाने पर वह या उसके वैध उत्तराधिकारी को सरकार के विरुद्ध किसी मुआवजे या अन्य प्रकार की राहत का दावा करने का हक न होगा.

(ख) इस आश्य का बंधपत्र कि, यदि उम्मीदवार को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से इस आधार पर बर्खास्त या निकाला या वापस किया गया कि उसने उक्त राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश लेने के लिए अपने आवेदन-प्रपत्र में जानबूझ कर गलत विवरण दिया अथवा महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाया अथवा उसे उक्त राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से अनुशासनिक आधार पर बर्खास्त या निकाला अथवा वापस किया गया अथवा उक्त राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रशिक्षण के दौरान विवाह के कारण अथवा किसी ऐसे कारण से जो कैडेट के नियंत्रण में है, वह अपने प्रशिक्षण की अवधि पूरी नहीं करता अथवा वह कैडेट, उपर बताए गये के अनुसार किसी कमीशन को स्वीकार नहीं करता तो गारंटीकर्ता तथा कैडेट अलग-अलग तथा सुयंक्त रूप से तत्काल सरकार को वह रोकड़ राशि देने के लिए बाध्य होंगे जो सरकार नियत करेगी. किंतु यह राशि उस व्यय से अधिक नहीं होगी जो सरकार ने कैडेट के प्रशिक्षण के दौरान उस पर खर्च की है तथा कैडेट द्वारा सरकार से प्राप्त किए गए वेतन तथा भत्ते सहित सारी राशि पर ब्याज भी लगेगा जिसकी दर सरकार द्वारा दिये गये ऋण पर लगने वाली ब्याज दर, जो उस समय लागू है, के समान होंगी.

2. आवास, पुस्तकें, वर्दी, बोर्डिंग और चिकित्सा सहित प्रशिक्षण के खर्च को सरकार वहन करेगी, उम्मीदवार के माता-पिता या संरक्षक से यह आशा की जाती है कि उम्मीदवार का जेब खर्च वे खुद वहन करेंगे-सामान्यता इन खर्चों को 400.00 रुपये से अधिक होने की संभावना नहीं है. यदि किसी कैडेट के माता-पिता या संरक्षक इस खर्च को पूरा या आंशिक रूप से बर्दाशत करने में असमर्थ हों तो पहले और दूसरे वर्ष के लिये ₹ 400.00 तक और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में तीसरे वर्ष के प्रशिक्षण के लिये ₹ 400.00 और थल सेना/नौ सेना/वायु सेना प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों में आगे के वरिष्ठ प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों के लिए ₹ 400.00 तक सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जा सकती है. ऐसा कोई कैडेट वित्तीय सहायता लेने का हकदार नहीं होगा जिसके माता-पिता अथवा अभिभावक की आय 1500/- रुपये प्रति माह से अधिक तथा 2000/- रुपये प्रति माह है और यदि उनका एक से अधिक लड़का/अश्रित नौ सेना और वायु सेना में स्थापित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, भारतीय सैन्य अकादमी, अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी तथा इनके सदृश प्रशिक्षण में एक ही समय प्रशिक्षण ले रहा है. यदि उम्मीदवार के माता-पिता या संरक्षक सरकार से किसी प्रकार वित्तीय सहायता प्राप्त करने के इच्छुक हों तो अपने पुत्र/संरक्षित के राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रशिक्षण के लिये अंतिम रूप से चुने जाने के तुरंत बाद अपने जिले के जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से एक आवेदन-पत्र देना चाहिये जिसे जिला मजिस्ट्रेट अपनी अनुशंसा सहित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़कवासला, पुणे-411023 के कमांडेंट को अग्रेषित कर देगा.

3. अकादमी में प्रशिक्षण के लिए अंतिम रूप से चुने गये उम्मीदवारों को आने पर कमांडेंट, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पास निम्नलिखित राशि जमा करनी होगी.

(क) प्रतिमास ₹ 400 के हिसाब से पांच महीने का जेब खर्च	₹ 2000
(ख) वस्त्र तथा उपस्कर की मदों के लिए	₹ 3200
(ग) 1 सेमिस्टर के दौरान प्रासंगिक व्यय	₹ 425
योग	**₹ 5625**

उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता मंजूर हो जाने पर उपर्युक्त राशि में से नीचे लिखी राशि वापस कर दी जाएगी.

(क) ₹ 400 प्रतिमाह के हिसाब से पांच महीने का जेब खर्च	₹ 2000
(ख) वस्त्र तथा उपस्कर की मदों के लिए लगभग	₹ 475

4. राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में निम्नलिखित छात्रवृत्तियां/वित्तीय सहायता उपलब्ध हैं :

(1) परशुराम भाऊ पटवर्धन छात्रवृत्ति : यह छात्रवृत्ति महाराष्ट्र तथा कर्नाटक के कैडेटों को दी जाती है. जिनके माता-पिता की आय सभी साधनों से ₹ 350 तथा ₹ 500 प्र.मा. के बीच हों. छात्रवृत्ति की राशि सरकारी वित्तीय सहयता के बराबर होगी. जब तक कैडेट राष्ट्रीय रक्षा अकादमी या अन्य कमीशन पूर्व प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों में रहेगा तब तक के लिए वह प्राप्त होगी किंतु शर्त यह है कि कैडेट का व्यवहार अच्छा रहे और वह संतोषजनक प्रगति करता रहे और उसकी माता-पिता की आय निर्धारित सीमा से कम रहे. जिन कैडेटों को यह छात्रवृत्ति दी जाएगी उन्हें सरकार से अन्य वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी.

(2) कर्नल कैंडिल फेंक मेमोरियल छात्रवृत्ति : यह ₹ 360 प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति उस मराठा कैडेट को दी जाएगी जो भूतपूर्व सैनिक का पुत्र है. यह छात्रवृत्ति सरकार से प्राप्त होने वाली किसी वित्तिय सहायता के अतिरिक्त होती है.

(3) कौर सिंह मेमोरियल छात्रवृत्ति : दो छात्रवृत्तियां उन दो कैडेटों को प्रदान की जाती हैं जिन्हें बिहार के उम्मीदवारों में उच्चतर स्थान प्राप्त हो. प्रत्येक छात्रवृत्ति ₹ 37 प्रति मास की होगी तथा अधिकतम 4 वर्ष के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़कवासला में प्रशिक्षण के दौरान तथा उसके बाद भारतीय सेना अकादमी, देहरादून तथा वायु सेना फ्लाइंग कालिज तथा भारतीय नौ सेना अकादमी, इझीमाला में जहां कैडेट को प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, प्रशिक्षण पूर्ण करने पर भेजा जाएगा, दी जाती रहेगी. छात्रवृत्ति तभी मिलती रहेगी जब कैडेट उपर्युक्त संस्थाओं में अच्छी प्रगति करता रहे.

(4) असम सरकार छात्रवृत्ति : दो छात्रवृत्तियां असम के कैडेटों को प्रदान की जाएंगी. प्रत्येक छात्रवृत्ति ₹ 30 प्रति मास की रहेगी तथा जब तक छात्र राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में रहेगा उसे मिलती रहेगी. छात्रवृत्ति असम के दो सर्वोत्तम कैडेटों को उनके माता-पिता की आय पर ध्यान दिये बिना प्रदान की जाएगी. जिन कैडेटों को यह छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, उन्हें सरकार की ओर से अन्य वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाएगी.

(5) उत्तर प्रदेश सरकार छात्रवृत्तियां : दो छात्रवृत्तियां ₹ 30 प्रति मास की तथा ₹ 400 की परिधान वृत्ति उत्तर प्रदेश सरकार के दो कैडेटों की योग्यता तथा आय के आधार पर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में संतोषजनक प्रगति करने पर 3 वर्ष के लिए दी जाएगी. जिन कैडेटों को ये छात्रवृत्तियां मिलेंगी उन्हें अन्य प्रकार की वित्तीय सहायता सरकार से नहीं मिलेंगी.

(6) केरल सरकार छात्रवृत्ति : पूरे वर्ष के लिए ₹ 480 की एक योग्यता छात्रवृत्ति रा.र. अकादमी में प्रशिक्षण की पूरी अवधि के लिए केरल राज्य द्वारा उस कैडेट को दी जाती है जो केरल राज्य का अधिवासी निवासी है और जो रा.र. अकादमी हेतु अखिल भारतीय सं.लो.से.आ. की प्रवेश परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर लेता है भले ही उसने वह परीक्षा राष्ट्रीय भारतीय सेना कालिज से या भारत भर में किसी सैनिक स्कूल से उत्तीर्ण हो. ऐसा करते समय कैडेट के पिता/संरक्षक की आर्थिक स्थिति पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है.

(7) बिहारी लाल मंदाकिनी पुरस्कार : यह ₹ 500 का नकद पुरस्कार सर्वोत्तम बंगाली लड़के को अकादमी से प्रत्येक कोर्स के लिए मिलता है, आवेदन पत्र कमांडेंट, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से मिलते हैं.

(8) उड़ीसा सरकार छात्रवृत्तियां : तीन छात्रवृत्तियां - एक थल सेना, एक नौ सेना तथा एक वायु सेना के कैडेट के लिए प्रत्येक ₹ 80 प्रतिमास के हिसाब से उड़ीसा सरकार द्वारा उन कैडेटों को दी जाएगी जो उड़ीसा राज्य के स्थायी निवासी हैं. इनमें से दो छात्रवृत्तियां कैडेटों की योग्यता तथा आय साधन के आधार पर दी जाएगी जिनके माता-पिता या अभिभावक की आय ₹ 5000 प्रति वर्ष से अधिक न हो तथा तीसरी छात्रवृत्ति बिना उसके माता-पिता या अभिभावकों की आय को ध्यान में रखते हुए सर्वोत्तम कैडेट को दी जाएगी.

(9) पश्चिम बंगाल सरकार छात्रवृत्तियां : निम्नलिखित वर्गों की छात्रवृत्तियां पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा उन कैडेटों को दी जाएंगी जो पश्चिमी बंगाल के स्थायी निवासी हैं :

योजना-I

छात्रवृत्तियों की संख्या	: प्रत्येक वर्ष में 6 छात्रवृत्तियां
छात्रवृत्तियों का विवरण	: प्रत्येक वर्ष में आरंभ होने वाले दोनों सत्रों में थल सेना, नौसेना तथा वायु सेना के लिए एक-एक छात्रवृत्ति

छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता के लिये वित्तीय अनुदान :

पहले वर्ष	: कपड़े खरीदने हेतु ₹ 2500/- का एक मुश्त वित्तीय अनुदान तथा जेब खर्च के लिये ₹ 125/- प्रतिमाह
दूसरे/तीसरे/चौथे वर्ष	: ₹ 129/- प्रतिमाह का जेब खर्च

योजना-II

छात्रवृत्तियों की संख्या	: प्रत्येक वर्ष 6 छात्रवृत्तियां
छात्रवृत्तियों का वितरण	: योजना 1 में दिये अनुसार
छात्रवृत्ति प्राप्त कर्ता को वित्तीय अनुदान	: पहले/दूसरे/तीसरे/चौथे वर्ष - एक मुश्त ₹ 100/- प्रति वर्ष का अनुदान.

(10) पाइलट अफसर गुरमीत सिंग बेदी मेमोरियल छात्रवृत्ति : ₹ 420 प्रतिमाह की एक छात्रवृत्ति ऐसे कैडेट को दी जाती है जो वायुसेना कैडेटों के चौथे सत्र के अंत में योग्यता में सर्वोत्तम होगा. यह एक वर्ष की अवधि के लिए होगी. (पांचवे और छठे सत्र के दौरान) यह छात्रवृत्ति बंद कर दी जाएगी यदि प्राप्त कर्ता रेलीगेट कर दिया गया हो या इसके प्राप्त करने की अवधि में छोड़कर चला गया हो. जो कैडेट इस प्रकार की पहले से ही कोई योग्यता छात्रवृत्ति या वित्तीय सहायता ले रहा है, उसे छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी.

(11) हिमाचल प्रदेश सरकार छात्रवृत्ति : हिमाचल प्रदेश के कैडेटों को 4 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाएंगी. प्रशिक्षण के प्रथम दो वर्षों के लिए छात्रवृत्तियां 30 रुपये प्रतिमास तथा प्रशिक्षण के तीसरे वर्ष के लिए 40 रुपये प्रतिमास मिलेगा. यह छात्रवृत्ति उन कैडेटों को मिलेगी जिनके माता-पिता की मासिक आय 500 रुपये प्रतिमास से कम होगी. जो कैडेट सरकार से वित्तीय सहायता ले रहा है उसे छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी.

(12) तमिलनाडु सरकार की छात्रवृत्ति : तमिलनाडु सरकार ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रति कोर्स ₹ 30 प्रतिमास की एक छात्रवृत्ति तथा साथ में ₹ 400 सज्जा भत्ता (कैडेट के प्रशिक्षण की पूरी अवधि के दौरान केवल एक बार) देना शुरू किया है जो उस कैडेट को दिया जाएगा जो तमिलनाडु राज्य का हो तथा जिसके अभिभावक/संरक्षक की मासिक आय ₹ 500 से अधिक न हो. पात्र कैडेट अपना आवेदन कमांडेंट, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी को, वहां पहुंचने पर प्रस्तुत कर सकते हैं.

(13) कर्नाटक सरकार की छात्रवृत्तियां : कर्नाटक सरकार ने प्रति वर्ष 18 (अट्ठारह) छात्रवृत्तियां, जनवरी से शुरू होने वाले कोर्सों के लिए 9, और जुलाई से शुरू होने वाले कोर्सों के लिए 9 कर्नाटक राज्य के उन कैडेटों को दी है जो सैनिक स्कूल, बीजापुर या राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कालेज, देहरादून में अपनी शिक्षा पूरी करके राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में आते हैं. इन छात्रवृत्तियों की राशि 480 रुपये प्रति वर्ष है.

₹ 480 प्रति वर्ष की चार (4) और छात्रवृत्तियां (दो प्रतिसत्र) कर्नाटक राज्य के उन छात्रों को दी गई हैं जो सैनिक स्कूल, बीजापुर या राष्ट्रीय इण्डियन मिलिट्री कालेज, देहरादून के अलावा अन्य संस्थानों पर अपनी शिक्षा पूरी करके राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में आते हैं.

(14) एलबर्ट एक्का छात्रवृत्ति : बिहार सरकार ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में ₹ 50/- प्रतिमास की 25 योग्यता छात्रवृत्तियां राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में छः समयावधि के पूरे समय के वास्ते एक बार और ₹ 650/- वस्त्र तथा उपस्कर के वास्ते देना शुरू किया है. जिस कैडेट को उपर्युक्त योग्यता छात्रवृत्ति मिलती है वह सरकार से कोई अन्य छात्रवृत्ति या वित्तीय सहायता का पात्र नहीं होगा. पात्र कैडेट राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में आने पर कमांडेंट को आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं.

(15) फ्लाइंग आफिसर डीवी पिंटू स्मारक छात्रवृत्ति : ग्रुप कैप्टन एम. वशिष्ठ ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में वरीयताक्रम में प्रथम तीन स्थान पाने वाले कैडेटों को पहला सेमेस्टर पूरा करने पर दूसरे सत्र के समाप्त होने तक, एक सत्र के लिए ₹ 125/- प्रतिमाह की दर से तीन छात्रवृत्तियां प्रारंभ की है सरकारी वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले कैडेट उपर्युक्त छात्रवृत्ति पाने के हकदार नहीं होंगे. पात्र कैडेट प्रशिक्षण पर पहुंचने के बाद कमांडेंट, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी को अपना आवेदन पत्र भेज सकते हैं.

(16) भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिए वित्तीय सहायता-महाराष्ट्र राज्य

महाराष्ट्र के भूतपूर्व सैनिक अधिकारियों/कर्मचारियों के उन आश्रितों के, जो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी/भारतीय सैनिक अकादमी/वायु सेना अकादमी/नौ सेना अकादमी में कैडेट के रूप में प्रशिक्षण ले रहे हैं, प्रशिक्षण प्रतिष्ठान द्वारा निर्धारित जेब खर्च निम्नलिखित दरों पर दिया जाएगा.

भूतपूर्व अधिकारी	:	प्रशिक्षण की संपूर्ण अवधि के दौरान कुल जेब खर्च का 50 प्रतिशत
भूतपूर्व जूनियर कमीशन प्राप्त अधिकारी	:	प्रशिक्षण की संपूर्ण अवधि के दौरान कुल जेब खर्च का 75 प्रतिशत
अन्य रैंकों के भूतपूर्व सैन्य कर्मी	:	प्रशिक्षण की संपूर्ण अवधि के दौरान कुल जेब खर्च का 100 प्रतिशत

आश्रितों के माता-पिता/अभिभावकों को अपने आवेदन पत्र संबंधित जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को प्रस्तुत करने चाहिए और इसके साथ उन्हें अकादमी से प्राप्त प्रमाण-पत्र भी भेजने चाहिए. जिनमें जेब खर्च की दरें दर्शाई गई हों, जिनके आधार पर आवेदन को माता-पिता को इस राशि का भुगतान किया जाएगा.

इन छात्रवृत्तियों की शर्तें राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़कवासला पुणे-411023 से प्राप्त की जा सकती है.

5. चुने हुए उम्मीदवारों के अकादमी में आने के बाद तत्काल उनके लिए निम्नलिखित विषयों में एक प्रारंभिक परीक्षा होगी.

(क) अंग्रेजी

(ख) गणित

(ग) विज्ञान

(घ) हिन्दी

(क), (ख) तथा (ग) के लिए परीक्षा का स्तर, भारतीय विश्वविद्यालय या हायर सेकेंडरी शिक्षा बोर्ड की हायर सेकेंडरी परीक्षा के स्तर से उंचा नहीं होगा. (घ) पर लिखित विषय की परीक्षा में यह जांचा जायेगा कि उम्मीदवार को अकादमी में भर्ती होने के समय हिन्दी का कितना ज्ञान है. अतः उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि प्रतियोगिता परीक्षा के उपरांत अध्ययन के लिए उदासीन न हो जाएं.

प्रशिक्षण :

6. तीनों सेनाओं अर्थात् थल सेना, नौसेना और वायु सेना के लिए चुने गए उम्मीदवारों को 3 वर्ष के लिए शैक्षिक तथा शारीरिक दोनों प्रकार का प्रारंभिक प्रशिक्षण राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में दिया जाता है जो एक सर्व सेना संस्था है. पहले ढाई वर्ष का प्रशिक्षण तीनों सेनाओं के लिए समान है. सफल होने पर कैडेटों को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली द्वारा बीएससी/बीएससी (कम्प्यूटर)/बीए डिग्री प्रदान की जायेगी.

नौसेना अकादमी के लिए चयनित उम्मीदवारों को भारतीय नौसेना अकादमी, इझीमाला में 4 वर्ष की अवधि के लिए शैक्षिक तथा शारीरिक दोनों प्रकार का प्रारंभिक प्रशिक्षण दिया जाएगा. 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम को भारतीय नौसेना अकादमी से प्रशिक्षण प्राप्त करने (पासिंग आउट) पर बी.टेक डिग्री प्रदान की जाएगी.

7. राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पास होने के बाद थल सेना कैडेट भारतीय सेना अकादमी, देहरादून में, नौ सेना कैडेट, भारतीय नौसेना अकादमी इझीमाला में और वायु सेना कैडेट, ए.एफ.ए. हैदराबाद जाएंगे.

8. भारतीय सेना अकादमी में सेना कैडेटों को 'जेन्टलमेन कैडेट' कहा जाता है और उन्हें एक वर्ष तक कड़ा प्रशिक्षण दिया जाता है. ताकि वे इन्फ्रेन्ट्री के उप यूनिटों का नेतृत्व करने योग्य अफसर बन सकें. प्रशिक्षण सफलता से पूरा करने के बाद जेन्टलमेन कैडेटों को उनके शेप वन (shape-एक) शारीरिक दृष्टि से योग्य होने पर लेफ्टिनेंट के पद पर स्थायी कमीशन दिया जाता है.

9. नौ सेना कैडेटों के राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पास होने पर उन्हें नौ सेना का कार्यपालक शाखा के लिए चुना जाता है, भारतीय नौसेना अकादमी इझीमाला में एक वर्ष की अवधि के लिए और आगे प्रशिक्षण दिया जाता है जिसके सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद उन्हें उप लेफ्टिनेंट के रैंक में पदोन्नत किया जाता है.

10. वायु सेना कैडेटों को हवाई उड़ान का डेढ़ वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाता है. तथापि उन्हें एक वर्ष का प्रशिक्षण पूरा होने पर अनन्तिम रूप से फ्लाइंग अफसर के रूप में कमीशन प्रदान किया जाता है. उनके बाद छः महीने का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने पर उन्हें एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर स्थायी रूप से कमीशन अफसर के रूप में समाहित कर दिया जाता है.

सेवा की शर्तें

11. सेना अधिकारी एवं वायु सेना व नौ सेना के समकक्ष रैंक

(i) कैडेट प्रशिक्षण हेतु वृत्तिका

जैन्टलमैन कैडेट, सेवा अकादमियों अर्थात भारतीय सैन्य अकादमी तथा अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, की पूरी प्रशिक्षण अवधि के दौरान ₹ 21,000/- प्रति माह (15,600/- रुपये पे बैंड के वेतन के रूप में तथा ₹ 5,400/- का ग्रेड पे) की वृत्तिका पाने के हकदार होंगे.

(ii) वेतन

(क) रैंक		पे बैंड (₹)
लेफ्टिनेंट से मेजर		15,600-39,100 (पे बैंड-3)
लेफ्टिनेंट कर्नल से मेजर जनरल		₹ 37,400-67,000 (पे बैंड-4)
लेफ्टिनेंट जनरल	एचएजी मान*	67,000 (वार्षिक वेतन वृद्धि @3%) - 79,000
	एचएजी+ मान	75,500 (वार्षिक वेतन वृद्धि @3%) - 80,000

(*लेफ्टिनेंट जनरल के कुल संख्या के 1/3 पर लागू होगी.)

वीसीओएएस/सेना कमांडर/लेफ्टिनेंट जनरल (एनएफएसजी)	80,000 (नियत)
सीओएएस	90,000 (नियत)

(ख) वेतन के अतिरिक्त ग्रेड पे भी निम्नानुसार दी जाएगी :-

लेफ्टिनेंट	₹ 5,400/-
कैप्टेन	₹ 6,100/-
मेजर	₹ 6,600/-
लेफ्टिनेंट कर्नल	₹ 8,000/-
कर्नल	₹ 8,700/-
ब्रिगेडियर	₹ 8,900/-
मेजर जनरल	₹ 10,000/-

(ग) लैफ्टिनेंट से ब्रिगेडियर तक से रैंक के अधिकारियों को सेना सेवा वेतन (एमएसपी) के रूप में 6,000/-₹ प्रति माह की एक नियत धनराशि भी देय है.

(iii) योग्यता वेतन तथा अनुदान

अधिकारियों की उनकी योग्यता के आधार पर विशेष निर्धारित योग्यता होने पर ₹ 6000/-, 9000/-, 15000/- या 20000/- ₹ का एकमुश्त योग्यता अनुदान देय है सेना उड़ान कोर में कार्यरत सेना वायुयान चालकों (पायलटों) को उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर नीचे दिए अनुसार योग्यता वेतन देय हैं :

(i) मास्टर उड़ान अनुदेशक - ₹ 500/- प्रतिमाह

(ii) वरिष्ठ उड़ान अनुदेशक, श्रेणी-I - ₹ 400/- प्रतिमाह

(iii) वरिष्ठ उड़ान अनुदेशक, श्रेणी-II - ₹ 280/- प्रतिमाह.

(iv) मास्टर ग्रीन कार्ड धारक वायुयान चालक - ₹ 400/- प्रतिमाह.

(v) ग्रीन कार्ड धारक वायुयान चालक - ₹ 280/- प्रतिमाह.

सेना उड़ान कोर में कार्यरत सेना वायुयान चालकों (पायलटों) को नीचे दिए गए अनुसार उड़ान भत्ता देय है :

(क) ब्रिगेडियर तथा ऊपर	₹ 10,500/-
(ख) मेजर से कर्नल	₹ 14,000/-
(ग) कैप्टन	₹ 11,000/-
(घ) लैफ्टिनेंट	₹ 9,000/-

इस समय एक अधिकारी वेतन के अलावा निम्नलिखित भत्ते प्राप्त करता हैं :

(क) महंगाई भत्ता सिविल राजपत्रित अधिकारियों पर समय-समय पर लागू होने वाली समान दरों से और उन्हीं शर्तों के अधीन स्वीकार्य होगा.

(ख) ₹ 400/- प्रति माह के दर से किट रखरखाव भत्ता.

(ग) तैनाती के क्षेत्र एवं रैंक के आधार पर कार्यस्थल क्षेत्रों में तैनात अधिकारी ₹ 6780/- से ₹ 8400/- प्रतिमाह की दर से प्रतिपूरक अति सक्रिय कार्यस्थल क्षेत्र भत्ता ₹ 4200/- से ₹ 5200/- प्रतिमाह की दर से प्रतिपूरक कार्यस्थल क्षेत्र भत्ता तथा ₹ 1600/- से ₹ 2000/- प्रतिमाह की दर से प्रतिपूरक संशोधित कार्यस्थल क्षेत्र भत्ता के लिए पात्र होंगे.

(घ) प्रतिपूरक कार्यस्थल क्षेत्र भत्ते के अतिरिक्त अधिकारियों को 9000 फीट और उससे अधिक की ऊंचाई पर स्थित क्षेत्रों में तैनात अधिकारियों को ₹ 1060/- प्रतिमाह से ₹ 11,200/- प्रतिमाह तक की रेंज में हाई एल्टीट्यूड भत्ते के पात्र होंगे जो अधिकारी के रैंक और तैनाती के स्थान पर निर्भर करेगा.

(ङ) परिधान भत्ता : एक समय किट के लिए ₹ 14,000/- की दर से आरंभिक भत्ता और प्रति तीन वर्षों के लिए ₹ 3,000/-

(च) परिवहन भत्ता : अधिकारियों को ए-1/ए वर्ग के शहरों में परिवहन भत्ता ₹ 3200/- + उस पर महंगाई भत्ता प्रतिमाह तथा अन्य स्थानों पर ₹ 1600/- + उस पर महंगाई भत्ता दिया जाएगा.

12. (क) सेना सामूहिक बीमा निधि एक अनिवार्य अंशदायी ग्रुप स्कीम है जो नौसेना तथा वायु सेना कैडेटों सहित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के कैडेटों को कमीशन-पूर्व प्रशिक्षण में आने की तारीख से राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रशिक्षण पूरा करने तक ₹ 8 लाख की बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराती है जिसमें 3 वर्ष के लिए अग्रिम रूप में ₹ 4250/- की एकमुश्त राशि की बीमा किश्त का एक बार में भुगतान करना होगा. पदावनति के मामले में, प्रति पदावनति अवधि के लिए ₹ 770/- का अतिरिक्त प्रीमियम पदावनति होते ही अदा किया जाएगा. वे उम्मीदवार जिन्हें अपंगता के कारण राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से चिकित्सकीय आधार पर अलग किया जाता है उन्हें 100 प्रतिशत अपंगता के लिए बीमित राशि का 50 प्रतिशत अर्थात् 100 प्रतिशत अपंगता के लिए 4 लाख ₹ की बीमा सुरक्षा दी जाती है. इसी अनुपात में कम होते हुए 20 प्रतिशत अपंगता के लिए ₹ 80,000 किया जाना है. बाहर निकाले गए कैडेट जिनकी अपंगता 20 प्रतिशत से कम है, उन्हें ₹ 20,000/- की राशि अनुग्रह अनुदान के रूप में दी जाएगी. मद्यपान तथा मादक द्रव्य व्यसन के कारण अपंग होने पर अपंगता लाभ तथा किसी प्रकार के अनुग्रह अनुदान के लिए पात्र नहीं होंगे. इसके अतिरिक्त जो कैडेट अनुशासनिक आधार पर या अवांछनीय या स्वैच्छिक रूप से अकादमी छोड़ता है तो वह भी अपंगता लाभ या अनुग्रह अनुदान का पात्र नहीं होगा.

(ख) भारतीय सैनिक अकादमी में जब जेन्टलमैन कैडेट वजीफा पाते हैं, तो उन्हें नियमित अधिकारियों पर लागू एजीआई योजना के अनुसार दिनांक 1 जनवरी, 2009 से 30 लाख रुपये की बीमा सुरक्षा प्रदान की जाती है, जो कैडेट अपंगता के कारण चिकित्सीय आधार पर भारतीय सैनिक अकादमी से बाहर हो जाते हैं, उन्हें शत प्रतिशत अपंगता के लिए बीमित राशि की 50 प्रतिशत राशि प्रदान की जाती है, अर्थात शत प्रतिशत अपंगता के लिए 15 लाख, जो 20 प्रतिशत अपंगता के लिए समानुपातिक रूप से घटकर 3 लाख ₹ हो जाती है तथा जिनकी अपंगता 20 प्रतिशत से कम है, उन्हें ₹ 20,000/- की राशि अनुग्रह अनुदान के रूप में दी जाएगी. मद्य एवं औषधि व्यसन तथा प्रीएनरोलमेंट ओरिजिन की बीमारियों के कारण हुई अपंगता होने से अपंगता लाभ तथा अन्य किसी प्रकार के अनुग्रह अनुदान के भुगतान के लिए पात्र नहीं होंगे. इसके अतिरिक्त, जो कैडेट अनुशासनिक आधार या अवांछनीय या स्वैच्छिक रूप से अकादमी छोड़ता है, वह भी अपंगता लाभ तथा अनुग्रह अनुदान का पात्र नहीं होगा.

13. सेवा निवृत्ति लाभ

पेंशन, उपदान और ग्रेच्युटी अवार्ड समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार स्वीकार्य होंगे.

14. छुट्टी

समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार छुट्टी स्वीकार होगी.

डीएवीपी 55104/14/0068/1011

रो.स. 2/83